पंजाब में मद्यपान और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव हेतु जागरूकता लाने एवं शिक्षण के लिए परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश

परियोजना की तार्किकता –

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 73.2 मिलियन लोग मद्यपान एवं नशीली दवाओं का सेवन करते है। उनमें से लगभग 22% लोग नशे के आदी पाये गये और उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढती ही जा रही है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह भी दर्शाया गया है कि 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मद्यपान का सेवन किया था, और निरंतर कर रहे हैं, और यही बात 70% भांग लेने वालों और 65% नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के लिए भी सही है। यह बात दर्शाती है कि नशे पर प्रयोग करने से मद्यपान और नशीली दवाओं के सेवन को बढावा मिलता है।

मद्यपान और नशीली दवाओं का बढता उपयोग समाज में सामान्य किशोरों विशेषकर युवाओं के अशक्तता का द्योतक है, जोकि अपनी गतिशीलता, प्रयोग की स्वाभाविक प्रवत्ति और साथियों के दबाव, ढांचागत और पर्यायवरणात्मक तथ्य के कारण कमजोर और अपनी गतिशीलता को उजागर करते हैं। इसमें अल्प विकास, शराब एवं नशीली दवाओं का आराम से उपलब्ध होना सामाजिक एवं पारिवारीक ढॉचे का चरमराना, सामाजिक एवं राजनैतिक अस्थिरता के कारण उत्पन्न तनाव, शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी के कारण बढती निराशा भी शामिल है।

पंजाब में नशे और मद्यपान के दुष्परिणाम– एक परिस्थितिकीय सर्वेक्षण

पंजाब राज्य अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग के बहुत पास है जिसे गोल्डन क्रिसेंट भी कहते हैं। पंजाब राज्य एक सीमावर्ती राज्य है जोकि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 550 कि.मी. तक है इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग का पारागमन बिन्दु बन गया है। किशारों एवं युवाओं में नशीली दवाओं ओर मद्यपान के इस्तेमाल की दर तेजी से बढ रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली नशीली दवाओं के लिए पंजाब मुख्य पारागमन एवं गंतव्य बिन्दु के रूप में उभरकर सामने आया है, राज्य सरकार ने युवाओं के बीच नशे की आदत को छुडाने के विरूद्व एक नया अभियान शुरू किया है।

नशे और मद्यपान के दुष्परिणाम सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम का अध्ययन यह दर्शाता है कि पंजाब में नशे के दुष्परिणाम की राष्ट्रीय औसत (एक प्रतिशत) से तीन गुणा अधिक है। पंजाब राज्य में पैदा होनी वाली अफीम और हेरोईन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है।

इसके अलावा शराब और तम्बाकू के उपयोग की दर भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में इस क्षेत्र में अधिक है। शराब की (26%), तम्बाकू (57.9%) की राष्ट्रीय औसत के विरूद्व पंजाब के निवासियों का शराब का इस्तेमाल (49.8%) और तम्बाकू का इस्तेमाल (64.6%) है। पंजाब में प्रति व्यक्ति शराब की खपत दुनिया में सबसे अधिक है

माझा क्षेत्र में नशीली दवाओं का उपयोग अनियंत्रित रूप से किया जा रहा है जबकि दोआबा क्षेत्र में नशे के लिए शांतिदायक दवा को लेना सामान्य बात है। नशेडी लोग विभिन्न प्रकार की नशीली

दवाओं का प्रयोग करते हैं जैसे कच्ची अफीम, स्मैक, हेरोईन, सिंथेटिक नशीली दवा जैसे मॉरफिन, पिथीडाईन, कोडिन, और साईकोट्रोफिक जैसे डायाझिपॉम। कैमिस्ट, नीमहकीम, घूम–घूमकर नशीली दवा बेचने वाले, ट्रक ड्राईवर आदि मुख्य रूप से पंजाब में नशीली दवाओं के आपूर्तिकर्ता है। लोग इसे किसी भी रूप में अधिक से अधिक लेने का प्रयास करते हैं जैसे ग्लू फूम्स, कफ सिरप, ऊपर, डाऊनर, भांग/हश, बूट पॉलिश, आयोडैक्स, पैट्रोल, भांग की सिगरेट आदि।

गांवों में कैमिस्ट की दुकान ग्रामीणों के लिए जीवन रक्षक मानी जाती हैं। लेकिन यह गैर न्यायोचित तरीके से ग्रामीण लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराने के मुख्य संसाधन बन गए हैं। गैर कानूनी रूप से दवाईयों की बिक्री पर नियंत्रण की प्रमुख आवश्यकता है। ऐसा महसूस होता है कि पीना महिलाओं के लिए कुछ अलग सी बात है लेकिन अब यह महिला तथा पुरूषों में समान रूप से बढ रहा है। शराब पीकर गाडी चलाना मुसाफिरों और राहगीरों दोनों के लिए अत्यंत जोखिम भरा है। खेतों की कटाई के दौरान थैशर से होने वाली दुर्घटना भी नशे का सीधा दुष्परिणाम है।

परिस्थिती

15–25 वर्ष की आयु समूह के पंजाबी युवाओं का 40% ड्रग्स का सेवन करता है और 48 प्रतिशत किसान और मजदूर इसके आदी हैं। महिला एवं बाल विकास सामाजिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब में 67% घरेलू ग्रामीण या तो ड्रग्स के आदी हैं या मद्यपान के आदी हैं। राज्य के मालवा, माझा, और दोआबा परिक्षेत्र में ड्रग्स ट्रैफिकिंग सामान्य बात है। चण्डीगढ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डवलेपमेंट कम्युनिकेशन के द्वारा किए गए अध्ययन के द्वारा नशे एवं शराब से माझा जिले में 61% मालवा में 64% और दोआबा में 68% घरेलू लोग प्रभावित हैं। वैसे तो पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में बुकी निरंतर रूप से अपने चुंगल में फसाने का प्रयास करते रहते हैं। और शराब, स्मैक, हेरोईन और विभिन्न फॉर्मासुटिकल्स पंजाब के शहरी क्षेत्रों में परंपरागत ड्रग्स के स्थान पर आते जा रहे हैं। इंजेक्शन द्वारा लगने वाले फॉर्मासुटिकल्स ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से तबाही मचा रहे हैं।

नशीली दवाओं से उत्पन्न होती समस्यायें

परिवार के अंदर और बाहर हिंसा एवं अपराध नशे एवं मद्यपान का दुष्परिणाम हैं। चोरी जैसा अपराध एक आम बात है और यह कार्य उनकी नशीली दवाओं और मद्यपान की आदतों को पूरा करने के लिए पैसा जुटाने हेतु किया जाता है। यह रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को प्रभावित करता है और अक्सर व्यक्ति अपनी नशे और मद्यपान की आवश्यकता से अधिक किसी उत्पादक कार्य को न करने में असमर्थ एवं अनइच्छुक हो जाता है। नशा और मद्यपान करनेवाले अपने को संबंधित समुदाय में अधिक होशियार समझते हैं। समाज का यह दुर्भाग्य है कि इस प्रकार वह बेहतर वृद्धि और विकास को प्राप्त कर सकने वाले सक्षम लोगों को खो देता है।

यह कहना सही होगा कि नसों में इंजेक्शन के माध्यम से लगाए जाने वाले दवा उत्पाद का उपयोग पंजाब में हेरोईन की बजाय अधिक पंसद किया जाता है इसके कारण नशा लेने वालों में फोडे, गैर चिकित्सा अवसर एम्प्यूटेशन होने का खतरा बढ जाता है। सबसे ऊपर इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स लेने वालों में इंजेक्शन उपकरण को आपस में एक दूसरे के द्वारा उपयोग करने से उनमें एच.आई. वी. संक्रमण होने का खतरा सबसे अधिक बढ जाता है। इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स का इस्तेमाल करने

वालों लोगों में एच.आई.वी. के होने के बावजूद भी वे इसका इस्तेमाल करते हैं। यह इसे और अधिक घातक बनाता है क्योंकि निकट भविष्य में एच.आई.वी. के इलाज की कोई संभावना नहीं है।

संवैधानिक प्रतिबद्धता

उपरोक्त के संदर्भ में यहॉ संविधान के अनुच्छेद 47 (क) के बारे में बताना उचित होगा जिसमें उन्हें कहा गया है कि "राज्य लोगों के पोषण एवं उनके जीवन स्तर को उपर उठाने और लोगों के स्वास्थ्य सुधार के प्रति ध्यान देना इसका प्राथमिक कर्त्तव्य होगा और विशेषकर राज्य औषधीय प्रयोजनों के लिए छोडकर मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा "।

इस पृष्ठभूमि में नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले इस परियोजना को पंजाब राज्य के लिए लिया है। इसमें किशोरों और युवाओं, उनके अभिभावकों, समुदाय के अन्य सदस्यों, उच्च जोखिम और कमजोर वर्गों को समाज की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और इसकी लत का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के प्रति संवेदनशील करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और पेशेवर मदद की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जिससे की प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ एवं सार्थक जीवन जी सके।

परियोजना के उद्देश्य

1. वर्तमान स्थिति का आंकलन करना और लक्षित गांवों में ड्रग्स एवं मद्यपान का सेवन करने वाले युवाओं का उनकी स्थिति के अनुसार वर्गीकरण करना।

2. राजनैतिक एवं धार्मिक नेताओं, माता–पिता और शिक्षकों को युवाओं के मनोविज्ञान को समझने के लिए उन्हें संवेदनशील करना और युवाओं को नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखने में मदद करना।

3. लक्षित लोक समूह को मद्यपान एवं नशे की दुष्परिणामों और उस पर निर्भरता, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के प्रति उन्हें शिक्षित एवं जागरूक करना।

4. लक्षित लोक समूह को नशे एवं मद्यपान से बचाव के प्रति शिक्षित करना और पेशेवर मदद की आवश्यकता के बारे में जानकारी देना जिससे की नशे पर निर्भरता का इलाज किया जा सके और स्वस्थ जीवन जीया जा सके।

5. उच्च जोखिम/व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें नशामुक्ति के लिए पुनर्वास की व्यवस्था और मार्गदर्शन प्रदान करना।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

<u>नेहरू युवा केन्द्र संगठन (नेयुकेसं)</u> – इसका कार्यालय पंजाब राज्य और इसके परियोजना लक्षित जिला स्तरीय कार्यालय और ग्राम स्तरीय युवा मंडल हैं।

प्रोफाईल

देश में प्रत्येक जिले के लिए नेहरू युवा केन्द्र (नेयुके) की योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में आरंभ किए गए। नेहरू युवा केन्द्र संगठन (नेयुकेसं) वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया जोकि वर्तमान में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंर्तगत स्वायत्त शासी निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 1972 से इसमें नेहरू युवा केन्द्रों को अभूतपूर्व विकास एवं विस्तार हुआ है और वर्तमान में देश के 501 जिलों में यह कार्यरत है। देशभर में प्रबंधन, प्रशासन, मूल्यांकन, मार्गनिर्देशन और सहयोग के लिए 501 जिला स्तरीय नेहरू युवा केन्द्र (नेयुके) और 28 मंडल कार्यालय और नई दिल्ली में मुख्यालय स्थापित है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (नेयुकेस) की मुख्य उद्‌देश्य देश के ग्रामीण युवाओं को एकत्रित, प्रेरित एवं संगठित करना है और ग्राम आधारित युवा मंडलों के रूप में लोकतांत्रिक संस्थागत तंत्र विकसित कर उनकी क्षमता को बढाना है। इसके अतिरिक्त उनमें एकता, धर्मनिपेक्षता और स्वयंसेवा की भावना से राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों और समाज विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए एक उत्पादक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में उन्हें विकसित करना है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (नेयुकेस) की मुख्य ताकत 1.25 लाख सक्रिय युवा मंडल और ग्राम स्तर पर 13–35 आयु समूह के 8 लाख स्वयं सेवकों के नामांकन के द्वारा सक्रिय विभिन्न स्तरों पर 1.75 लाख/युवा मंडलों पर निहित हैं। इसके अतिरिक्त 3311 युवा विकास केन्द्र, 2053 ग्रामीण खेल मंडल, और 221 ग्रामीण सूचना एवं तकनीकी युवा विकास केन्द्र हैं। इन युवा मंडलों, केन्द्रों और जिला नेहरू युवा केन्द्रों में 12,300 राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवको की टीम है जिनकी सहायता और भागीदारी से नेहरू युवा केन्द्र संगठन अपने उद्‌देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करता है।

स्थापित संरचनाओं, नेटवर्क समन्वय और मानव संसाधन के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन नियमित कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिन्हें देश के जिला नेहरू युवा केन्द्रों के बीच समान रूप से बांटा जाता है और यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं, अन्य मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की युवा विकास एवं सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए समन्वय स्थापित कर विशेष कार्यक्रमों को आयोजित करता है।

अनुदान एजेंसी

<u>सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।</u> संविधान के अनुच्छेद 47 में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत में मादक पदार्थों और शराब के सेवन पर अंकुश लगाना है इसके लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय का सबसे अधिक जोर किशोरों (13–19 वर्ष) और युवाओं (20–35 वर्ष), उनके अभिभावकों, समुदाय के अन्य सदस्यों, उच्च जोखिम और कमजोर वर्गों को समाज की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और इसकी लत का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के प्रति संवेदनशील करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और पेशेवर मदद की आवश्यकता जोर दिया गया है। जिससे की प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ एवं सार्थकतापूर्ण जीवन जी सके। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता

मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के तहत गैर सरकारी संस्थाओं एवं अन्य संगठनों को जागरूकता एवं बचाव शिक्षा, ड्रग्स जागरूकता और परामर्श केन्द्रों, उपचार एवं पुनर्वास केन्द्रों, कार्य स्थल निवारण कार्यक्रम, नशा मुक्ति शिविरों, नशीली दवाओं के सेवन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के लिए मंच, समुदायिक पुनर्वास, तकनीकी आदान प्रदान का जन शक्ति विकास कार्यक्रम, सर्वेक्षण अध्ययन, मूल्यांकन एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है।

समन्वय एवं सहयोगी संस्थान

राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (एन.आई.एस.डी.) और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के संबंधित अधिकारी, जिला प्रशासन, और उनके अस्पताल, नशामुक्ति केन्दों की पहचान की गई संदर्भित एकक, नशेडियों के लिए एकीकृत पुनर्वास, पुनर्वास एवं अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय, धार्मिक एवं राजनैतिक नेता गैर सरकारी संस्थाएं एवं ग्राम पंचायतें।

अपने राज्यों एवं जिलों की अन्य सरकारी संगठनों जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय केडिट कोर, भारत स्काऊट एवं गाईड को इस परियोजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यान्वयन प्रकिया में शामिल कर सकते हैं।

लक्षित लोकसमूह

किशोर, युवा और उनके समकक्ष समूह और उनके साथ साथ शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय, धार्मिक और राजनैतिक नेता तथा ग्राम समुदायों के सदस्य

भौगोलिक विस्तार

क.सं.	**नेयुकेसं/जिला**	**ब्लॉकों की संख्या**	**जिलों में चयनित ब्लॉकों के नाम**	**गांव/ग्राम पंचायतें**
1	अमृतसर	9	वर्का, माजीठा,तारसिका, राय्या जनदिला, **अटारी, चोगावान, अजनाला,** हर्षाचिन्ना	300
2	पटियाला	6	पटियाला, सामना, पाट्टरन, बुँदेहरी, सानूर, घानूर	340
3	फिरोजपुर	10	**फिरोजपुर,** अबहोर, खुईन सरवर, **फाजिल्का, जलालाबाद**, **गुरूहर साही**, **ममदूत**, घाल खुर्द, जीरा, **माखू**	300
4	भटिंडा	5	भटिंडा, रामपुरा, पुल, भगता, नथाना	200
5	गुरूदासपुर	16	**गुरूदासपुर, दीना नगर, नरोतजयमल सिंह, भामिल,पठानकोट, सुजानपुर**, धरकलां, कहनूवान,क्वादिन, श्रीहरगोबिंदपुर, **दौरांगला,कलानूर,धारीवाल, डेरा बाबा नानक,** बटाला, **फतेहगढ चुरियांन**	420
6	कपूरथला	5	कपूरथला, फगवाडा,सुल्तानपुर लोदी, नदाला, धिलवान	300
7	रोपड	5	रोपड, चमकौर साहिब, मोरिंडा,नुपुरबेडी, श्री आनंदपुर साहिब	300
8	मनसा	5	मनसा, भिखी,बुडालदा, जुनीर, सरडूलगढ	240

9	संगरूर	6	संगरूर, सेरापुर, भवानीगढ, सुनम, लेहरागागा, आनंदा	300
10	तरन तारन	8	तरन तारन, नौसेरा, पन्नून, छोहला साहिब, खदूर साहिब,**भिखीविंड**, **गेंदीविंड, वल्टोहा,** पत्ती	300
	कुल	**75**		**3000**

(स्त्रोत मंडल कार्यालय, नेहरू युवा केन्द्र पंजाब)

(इटालिक एवं बोल्ड में ब्लॉक व जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ सीमा)

परियोजना की अवधि – 12 माह

कार्यान्वयन रणनीति

प्रथम चरण

ब्लॉकों एवं गांवों का चयन और एन.वाई.सी. का आवंटन

प्रत्येक जिले में ब्लॉक व उनके गांवों की लक्षित संख्या (जैसा कि पिछले पेज और उपर तालिका में दिया गया है) (जहॉ पर जिले में परियोजना लागू की जानी है इसका चयन) इस प्रकार से किया जाये कि इसमें जिले के ब्लॉक के प्रत्येक कोने और विभिन्न भागों का कवरेज दिखाई दे। इससे पहले युवा समन्वयक जिले के चयनित ब्लॉक में सक्रिय और विद्यमान युवा मंडलों की संख्या पर नेहरू युवा केन्द्र संगठन के युवा मंडल और सर्वेक्षण डाटा और रिकॉर्ड का अध्ययन करेगें।

गांवों के चयन की रणनीति में उन गांवों का चयन किया जाये जहॉ नेहरू युवा केन्द्र के पास अत्यंत सक्रिय एवं विद्यमान युवा मंडल हो जोकि स्वेच्छा, सहयोग, स्वसहायता की भावना से अपने संबंधित गांवों से परियोजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन में मदद कर सकते हों। इसके अतिरिक्त ऐसे गांवों को वरीयता दी जाये (सक्रिय युवा मंडलों के साथ) जहॉ लोगों के बीच नशीली दवाओं और मद्यपान की गंभीर समस्या हो, जागरूकता का स्तर कम है, और जहॉ इस प्रकार के कार्यक्रम पूरी ताकत और बल के साथ नहीं पहुॅच सकते है और जहॉ इस खतरे के प्रति लोगों का रवैया उत्साहजनक नहीं है।

इसके अतिरिक्त युवा मंडलों के चयन के समय, पर्यायवरण निर्माण के एक भाग के रूप में ग्राम पंचायत के प्रधानों, युवा मंडलों के अध्यक्षों, स्थानीय, धार्मिक नेताओं, महिलाओं के समूहों आदि को परियोजना के बारे में, इसके उद्देश्यों कार्यक्रमों, गतिविधियों और कार्य योजना के बारे में वर्तमान स्थिति की जानकारी दी जानी चाहिए और ग्राम समुदाय से अपेक्षित सहायता व सहयोग के बारे में बताना होगा। ग्रामीण युवाओं और ग्रामवासियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य इस परियोजना को स्वीकृति दिलाना, सहायता प्राप्त करना और प्रभावितों और उनके परिवारों को प्रोत्साहन करना है। इस तरह चयनित जिलों में इस परियोजना के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है ।

इस प्रक्रिया के बाद चयनित जिले और ब्लॉकों के गांवों के नाम व पते की सूची और उनको आवंटिज एन.वाई.सी. विवरण अनुबंध–1 में दिया गया है। इसे तुरंत मंडल निदेशक को भेजा जा रहा है जोकि पंजाब राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत जिला और ब्लॉक पर गांवों के नाम, पता सूची नेहरू युवा केन्द्र संगठन, मुख्यालय को भेजेगें।

इस बात पर ध्यान दिया गया है कि यह एन.वाई.सी. नेहरू युवा केन्द्र के कार्यक्रम एवं गतिविधियों के लिए तैनात के अतिरक्ति होगें और इस प्रकार वे केवल परियोजना की गतिविधियों के लिए ही तैनात किए जायेगें। बहरहाल, नेहरू युवा केन्द्र के कार्यक्रमों के लिए तैनात एन.वाई.सी. की सेवाओं को भी इस परियोजना के लिए लिया जाना चाहिए।

- प्रत्येक एन.वाई.सी. 30 या अधिक गांवों के समूह कवर करेगा। जिला परियोजना अधिकारी डी.पी.ओ. एवं युवा समन्वयक के मार्गनिर्देशन और पर्यवेक्षण में लक्षित ग्रामीण युवा मंडलों के सहयोग से एन.वाई.सी. प्रत्येक ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर परियोजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सीधे जिम्मेदार होगा।
- परियोजना कार्यान्वयन की गतिविधियॉ को आरंभ करने से पहले मंडल निदेशक और जिला युवा समन्वयक नए तैनात राज्य परियोजना अधिकारी (एस.पी.ओ.) और (बी.पी.ओ.) जिला परियोजना अधिकारी के साथ परियोजना पर चर्चा करेगें और निम्नलिखित सूचना एवं विवरण एकत्रित करेगें और इसे अभिसारण प्रशिक्षण को किसी एक सत्र के दौरान प्रस्तुत करेगें।
- प्रमाणित, सांख्यिकीय डाटा और जानकारी का संग्रहीकरण परियोजना कार्यान्वयन की गतिविधियॉ आरंभ करने से पहले मंडल निदेशक और जिला युवा समन्वयक नए तैनात एस.पी.ओ. और डी.पी.ओ. के साथ परियोजना पर चर्चा करेगें और निम्नलिखित सूचना एवं विवरण एकत्रित करेगें और इसे अभिसारण प्रशिक्षण को किसी एक सत्र के दौरान प्रस्तुत करेगें।
- किशारों, युवाओं और उपरोक्त जनसंख्या (बताये गए डाटा एवं सूचना के स्त्रोत के अनुसार) के बीच नशीली दवाओं और मद्यपान के प्रसार की सीमा और परिस्थिति के बारे में परियोजना लक्षित जिला, ब्लॉक और ग्रामवार प्रमाणित, सांख्यिकीय डाटा एवं सूचना का संग्रहीत करना।
- परियोजना के लक्षित जिला, ब्लॉक एवं गांव में प्रचलित और इस्तेमाल की जा रहे ड्रग्स के प्रकार

अन ड्रग्स के स्त्रोत व इन्हें रोकने के उपाय– सामाजिक एवं साथियों का दबाव, प्रवर्तन, कानूनी कार्यवाही, राजनैतिक हस्तक्षेप।

ब्लॉक वार उपरोक्त विवरण निम्न तालिका में एकत्रित करना।

जिले का नाम.. राज्य...

परियोजना के अंतर्गत निर्धारित ब्लॉकों के नाम	नशीली दवाओं के सेवन और ब्लॉक में विभिन्न आयु समूहों में शराब की व्याप्तता (प्रतिशत) का विस्तार															ड्रग्स के प्रकार जो इस्तेमाल किया जा रहा है।	जैसे ड्रग्स सूत्रों का कहना है।
	13–19 वर्ष			20–24 वर्ष			25–29 वर्ष			30–35 वर्ष			35 वर्ष से ऊपर				
	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल		
कुल (जिला परियोजना)																	

- नशीली दवाओं और मद्यपान के कारण
- और किन लोगों को शामिल कर जा सकता है जो परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान नशीली दवाओं और मद्यपान के सेवन पर सम्बोधित करने में मदद कर सकते हैं।

युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति की विशेष बैठक

युवा समन्वयक उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत उपायुक्त को (जोकि युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं– डी.ए.सी.वाई.पी.) जिले में नशीली दवाओं और मद्यपान की वर्तमान स्थिति और परियोजना से अवगत करायेगें और इस मार्गनिर्देशिका की एक प्रति, एकत्रित सूचना और परियोजना का संक्षिप्त विवरण भी उपलब्ध करायेगें।

युवा समन्वयक इस परियोजना पर विशेष बैठक आयोजित करने के लिए डी.ए.सी.वाई.पी. के अध्यक्ष से अनुरोध करेगें। इस बैठक में डी.ए.सी.वाई.पी. के सदस्यों के अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मंडल के स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, **प्रमुख, नशा मुक्ति केन्द्र**, क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख, समाज कल्याण अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख और अन्य जो नशीली दवाओं और मद्यपान के सेवन पर कार्य कर रहे हैं और अन्य जो व्यवहारिक रूप से इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन में मदद कर सकते हैं उन्हें डी.ए.सी.वाई.पी. के अध्यक्ष की सलाह से आमंत्रित किया जा सकता है।

डी.ए.सी.वाई.पी. को जिले में नशीली दवाओं और मद्यपान की वर्तमान स्थिति, परियोजना से अवगत करायेगें और इस मार्गनिर्देशिका की एक प्रति, एकत्रित सूचना और परियोजना का संक्षिप्त विवरण भी उपलब्ध करायेगें। इसके साथ–साथ परियोजना विवरण, कार्य योजना, कार्यान्वयन की व्यापक योजना गांव एवं ब्लॉकों का चयन और इसके साथ–साथ भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की जायेगी। बैठक के दौरान उन विभागों और एजेंसियों की पहचान एवं चर्चा की जायेगी जिनके साथ समन्वय स्थापित करके निर्धारित उद्देश्यों की सफल उपलब्धि एवं ठोस परिणाम हेतु समर्थन एवं सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

समय को बचाने के उद्देश्य से युवा समन्वयक डी.ए.सी.वाई.पी. की बैठक से पहले प्रस्तावित कार्य योजना (जिला खाका अनुबंध–2 में दिया गया है।) तैयार करेगें और उसकी चर्चा करेगें। युवा समन्वयक वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदित निर्धारित प्रपत्र में भरकर मंडल निदेशकों को देगें और मंडल निदेशक समेकित राज्य योजना को नेहरू युवा केन्द्र संगठन, मुख्यालय को भेजेगें।

ग्राम स्तरीय समितियों का गठन

जमीनी स्तरीय पर्यवेक्षण, निगरानी, मार्गनिर्देशन और सहयोग के लिए ग्राम स्तरीय समिति ग्रामपंचायत प्रधान की अध्यक्षता में नशीली दवाओं और मद्यपान पर ग्राम सलाहकार समिति के नाम से प्रत्येक चयनित गांव में गठित की जायेगी। प्रस्तावित सदस्यों के अलावा समिति के अध्यक्ष की सलाह से उन विभागों और एजेंसियों की पहचान एवं चर्चा की जायेगी जिनके साथ समन्वय स्थापित करके निर्धारित उद्देश्यों के सफल कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। समिति की प्रथम बैठक के आयोजन के दौरान यह कार्य किया जायेगा। बैठक के दौरान वर्तमान स्थिति, परियोजना विवरण, कार्य योजना, इसका कार्यान्वयन की व्यापक योजना और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की जायेगी। बैठक के कार्यवृत्त एन.वाई.सी. द्वारा तैयार किए जायेगें और यह रिकॉर्ड जिला नेहरू युवा केन्द्र में रखा जायेगा।

परियोजना कार्यान्वयन और प्रबंधन ढांचा तथा परियोजना के कार्यकत्ताओं का चयन

परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु और इसके साथ–साथ उत्प्रेरणा मार्गनिर्देशन और परियोजना की गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु राज्य परियोजना अधिकारी और मंडल स्तर पर योजना सहायक और जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी और 30–33 गांवों के लिए एक एन.वाई.सी. स्वयं सेवक का चयन 10 माह के लिए चयनित ब्लॉक से नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

राज्य परियोजना अधिकारी (एस0पी0.ओ.)

10 माह के लिए रूपये 15,000 समेकित मासिक मानदेय के आधार पर मंडल स्तरीय का एस.पी.ओ. की तैनाती की जा सकती है। वह मंडल निदेशक पंजाब के सीधे पर्यवेक्षण और मार्गनिर्देशन के अंतर्गत परियोजना की समस्त गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

परियोजना सहायक

परियोजना के प्रशासनिक सहयोग के लिए 10 माह के लिए रूपये 7,500/– समेकित मासिक मानदेय के आधार पर मंडल स्तर पर परियोजना सहायक की तैनाती की जा सकती है।

जिला परियोजना अधिकारी (डी.पी.ओ.)

10 माह के लिए रूपये 10,000 समेकित मासिक मानदेय के आधार पर जिला स्तरीय का डी.पी.ओ. की तैनाती की जा सकती है। वह एस.पी.ओ. के मार्गनिर्देशन के अंतर्गत और संबंधित जिला युवा समन्वयक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करेगा। डी.पी.ओ. एन.वाई.सी. के माध्यम से समस्त जिला, ब्लॉक और जिला स्तरीय गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रम एवं गतिविधियों के लिए तैनात एन.वाई. सी. के अतिरिक्त इन एन.वाई.सी. की तैनाती की जायेगी और इसलिए इन्हें परियोजना गतिविधियों के लिए ही तैनात किया जायेगा। फिर भी नेहरू युवा केन्द्रों के लिए तैनात एन.वाई.सी. से भी परियोजना हेतु सेवायें ली जा सकती हैं।

चयनित उम्मीदवारों को यह स्पष्ट किया जाये कि यह स्थायी सेवा नहीं है। यह 10 माह के लिए सामाजिक सेवा है और इसके लिए युवा समन्वयक द्वारा या मंडल निदेशक द्वारा, जैसा भी मामला हो, मानदेय दिया जायेगा। इसके अलावा परियोजना के अंतर्गत तैनात कर्मचारियों को यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि वे किसी भी परिस्थिति में नेहरू युवा केन्द्र संगठन पर कोई दावा करेगें और न ही वे नेहरू युवा केन्द्र संगठन, भारत सरकार का कोई दायित्व होगें और उनकी सेवायें इस परियोजना के अंतर्गत महीने से महीने के आधार पर होगीं और यह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान राशि पर निर्भर होगा।

इन कार्यकत्ताओं की तैनाती के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन, मुख्यालय द्वारा मंडल निदेशकों को भेजे गए पत्र अंडरटेकिंग का अनुपालन करेगें। इसके अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद ही अभ्यार्थियों की तैनाती की जा सकेगी।

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर सुनिश्चित करने का दायित्व युवा समन्वयक और मंडल निदेशक पंजाब पर होगा।

क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. राज्य स्तर पर राज्य परियोजना अधिकारी, परियोजना सहायक, जिला परियोजना अधिकारी को प्रशिक्षण

तैनाती प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद राज्य परियोजना अधिकारी, परियोजना सहायक, जिला परियोजना अधिकारी को योजना के बारे में जानकारी, परियोजना के उद्देश्यों, कार्यान्वयन योजना विशेषकर जिला, पर्यवेक्षण, प्रबोधन, रिर्पोटिंग, अपेक्षित परिणाम और अनुपालन कार्यों में जानकारी देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर मंडल निदेशक द्वारा 35 प्रतिभागियों के लिए 4 दिवसीय गहन प्रशिक्षण सह मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। प्रशिक्षण सह मीडिया कार्यशाला के आयोजन से पहले प्रतिष्ठित संस्थानों के व्यक्तियों और नशीली दवाओं और मद्यपान क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण देने और अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषाओं में आई ई.सी. सामग्री तैयार करने के लिए संपर्क किया जायेगा।

प्रतिभागियों की सूची में, परियोजना अधिकारी, परियोजना जिले के नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा समन्वयक, संचार विशेषज्ञ, राज्य/जिला स्तर के प्रत्येक विभागों के कार्यकर्त्ता, एन.आई.सी. के

अधिकारी, समुदाय के प्रमुख कार्यकर्त्ता, डी.ए.सी.वाई.पी. की बैठक के दौरान सुनिश्चित किए गए विशेषज्ञ को अन्य को शामिल किया जायेगा। जिससे कि परियोजना के कार्यकर्त्ता को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य पूरा किया जायेगा और राज्य विशेषज्ञ की रणनीति विकसित की जा सके और ग्राम स्तरीय गतिविधियों के कार्यान्वयन आई.ई.सी. सामग्री वितरित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त इन व्यापक क्षेत्रों के आधार पर और परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण सह कार्यशाला की समय सारणी मंडल निदेशक द्वारा स्थानीय विशेषज्ञों और अधिकारियों की सलाह पर निर्धारित की जायेगी। सुझाव के लिए परियोजना के तहत प्रशिक्षण सह मीडिया कार्यशाला का प्रस्तावित अकादमिक सत्र के बारे में जानकारी अनुबंध–4 पर दी गई है।

एन.आई.डी से मार्गनिर्देशन और अंतिम रूप प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के अंतिम समय सारणी का विवरण तिथि सहित नेहरू युवा केन्द्र संगठन, मुख्यालय को भेजा जाये। तत्पश्चात ही गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाये।

प्रशिक्षण सह मीडिया कार्यशाला के लिए बजट के रूप में निम्नानुसार

क्र.सं.	बजट के प्रमुख ब्यौरे	कुल कीमत
1	बी औरएल 4 दिनों के लिए 35 व्यक्तियों के खर्च @ ₹ 500 प्रति दिन प्रति व्यक्ति (35X500X4)	₹ 70,000.00
2	संसाधन सामग्री किट/35 व्यक्तियों को प्रति प्रति व्यक्ति @ ₹500 (35X350)	₹ 17,500.00
3	प्रशिक्षण हॉल/स्थल के @ 4 दिनों के लिए प्रतिदिन ₹ 5,000.00 (5000X 4)	₹ 20,000.00
4	30 प्रतिभागियों का टीए/डीए@ ₹1000 प्रतिभागी विषय वास्तविक प्रति (30X1000)	₹ 30,000.00
5	3 संदर्भ व्यक्तियों का टीए / डीए @₹2,000 प्रतिभागी विषय वास्तविक प्रति (3X2000)	₹ 6,000.00
6	03 संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय @ ₹ 1,000 4 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति (3X4X1000)	₹ 12,000.00
7	टैक्सी 2/वाहन किराए पर लेना@ 5 दिनों के लिए प्रति दिन ₹1,000 (पीओएल खर्च के अनन्य)(2X5X1000)	₹ 10,000.00
8	रिपोर्ट लेखन/दस्तावेदीकरण	₹ 15,000.00
9	संगठानात्मक आकस्मिक व्यय	₹ 10,000.00
	कुल योग	**₹ 1,90,500.00**
₹ एक लाख नब्बे हजार पॉच सौ मात्र		

2 एन.वाई.सी. के स्वयं सेवकों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण

एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों के लिए 33–34 प्रतिभागियों सहित मंडल निदेशक द्वारा 3 दिवसीय तीन राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों आयोजन किया जायेगा। मंडल निदेशक, युवा समन्वयक, एस.पी.ओ. , डी.पी.ओ. और इसके साथ साथ नशीली दवाओं और मद्यपान के क्षेत्र के चयनित विशेषज्ञों/संदर्भ व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आवंटित 30 और अधिक

गांवों के समन्वय कार्य योजना तैयार किए जाने बारे में जानकारी दी जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवा मंडलों और परियोजना के अन्य कर्मचारियों के सहयोग से ब्लॉक और ग्राम स्तर पर गतिविधियॉ आयोजित करने के लिए एन.वाई.सी. का क्षमता निर्माण करना था।

यह भी नोट करें की परियोजना की सफलता भी क्षमता निर्माण, परियोजना के कार्यकर्त्ताओं की जानकारी एवं उत्प्रेरणा स्तर पर निर्भर करेगी। इसलिए परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए गंभीर रूप से प्रयास किए जायें। संदर्भ हेतु इस परियोजना के तहत एन.वाई.सी. स्वंय सेवकों के प्रशिक्षण हेतु अकादमिक सत्र अनुबंध–4 पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त उन्हें परियोजना और उसके परिणामों के बारे में गहन जानकारी दी जाये। रिपोर्ट, प्रतिफल और अनुवर्ति कार्यवाही नियमित रू᠎ से और समय पर प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाये।

प्रशिक्षण के आयोजन के तुरंत बाद मंडल निदेशक द्वारा प्रशिक्षण पर विस्तृत विवरण तैयार कर नेहरू युवा केन्द्र संगठन, मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाये इस रिपोर्ट में एक्शन फोटोग्रॉफ, प्रेस कटिंग, प्रतिभागियों को दी गई संदर्भ सामग्री का नमूना और इसके साथ साथ ग्राम कार्य योजना का नमूना भेजा जाये।

एनआईसी के प्रशिक्षण के लिए बजट निम्नानुसार

क.सं.	बजट के प्रमुख ब्यौरे	कुल कीमत
1	बी औरएल 3 दिनों के लिए 30 व्यक्तियों के खर्च @ ₹ 500 प्रति दिन प्रति व्यक्ति (35X350X3)	₹ 36,750.00
2	संसाधन सामग्री किट/35 व्यक्तियों को प्रति प्रति व्यक्ति @ ₹350 (35X350)	₹ 12,250.00
3	प्रशिक्षण हॉल/स्थल के 3 @3 दिनों के लिए प्रतिदिन 3,000.00 (3000X 3)	₹ 9,000.00
4	30 प्रतिभागियों का टीए/डीए@ ₹500 प्रतिभागी विषय वास्तविक प्रति (30X500)	₹ 15,000.00
5	3 संदर्भ व्यक्तियों का टीए / डीए @₹2,000 प्रतिभागी विषय वास्तविक प्रति (3X2000)	₹ 6,000.00
6	03 संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय @ ₹ 1,000 4 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति (3X4X1000)	₹ 12,000.00
7	टैक्सी 1/वाहन किराए पर लेना@4 दिनों के लिए प्रति दिन ₹1,000 (पीओएल खर्च के अनन्य)(4X1000) 4,000.00	₹ 4,000.00
8	रिपोर्ट लेखन/प्रलेखन	₹ 10,000.00
9	संगठानात्मक आकस्मिक व्यय	₹ 8,000.00
	कुल योग	**₹ 1,13,000.00**
	कुल लागत 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम (3X1,13,000)	**₹ 3,39,000.00**
₹ तीन लाख उन्तालीस हजार मात्र		

जिला स्तरीय सम्मेलन

मद्यपान निषेध और नशीली दवाओं के बढते हुए खतरे पर अंकुश लगाने के लिए समस्त श्रेणी के प्रतिभागियों और हितधारकों को नेहरू युवा केन्द्र संगठन के प्रस्तावित पहल के बारे में संवेदनशील

करने के उद्देश्य से प्रत्येक चयनित जिले में 1 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा जिसमें शीर्षस्थ युवा नेता, पी.आर.आई., धार्मिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, किशोरों के अभिभावक एवं युवा, अध्यापक आदि को आमंत्रित किया जायेगा। जिला सम्मेलन के लिए 200 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जा सकता है।

सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों को जिले में नशीली दवाओं और मद्यपान की वर्तमान स्थिति, परियोजना के उद्देश्य, नेयुकेसं की कार्य योजना से अवगत कराया जायेगा। उन्हें अपने संबंधित गांवों में अपने विचारों के साथ गतिविधियॉ आयोजित करने के सुअवसर उपलब्ध कराकर परियोजना के प्रति अपनेपन की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। उन्हें अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी दी जायेगी और उन्हें अपने गांव, समाज के लाभ के लिए परियोजना की गतिविधियों में आगे आकर भाग लेने के प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए।

जिला स्तरीय सम्मेलन के लिए बजट निम्नानुसार

क.सं.	बजट के प्रमुख ब्यौरे	कुल कीमत
1	और एफआरओ वास्तविक(200X100)20,000.00 200@100 प्रति भागीदार विषय प्रतिभागियों का खर्च	₹ 20,000.00
2	200 व्यक्तियों के लिए संदर्भ सामग्री @50 प्रति व्यक्ति (200X50)	₹ 10,000.00
3	सम्मेलन स्थल/तम्बू घर लेख/सार्वजनिक पते प्रणाली 5,000.00 के किराए पर लेना	₹ 5,000.00
5	जलपान और भागीदार प्रति 100@200 प्रतिभागियों के लिए दोपहर के भोजन के काम (200X100)	₹ 20,000.00
7	टैक्सी 1/वाहन किराए पर लेना@2 दिनों के लिए प्रति दिन 1,000 (पीओएल खर्च के अनन्य)(2X1000)	₹ 2,000.00
8	फोटोग्राफी सहित रिपोर्टिंग	₹ 4,000.00
9	संगठानात्मक आकस्मिक व्यय 3,000.00	₹ 3,000.00
	कुल योग	**₹ 64,000.00**
	कुल लागत 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 X 64,000)	**₹ 6,40,000.00**
	₹ छः लाख चालीस हजार मात्र	

4 युवा मंडल के नेताओं के जिले प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित जिले के लक्षित गांवों के युवा मंडल नेताओं को संवेदनशील प्रेरित करने हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक लक्षित गांव के 10 युवा नेताओं (युवक एवं युवतियॉ दोनों) के साथ 100 युवा नेताओं के लिए ब्लॉक स्तर पर युवा समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। लक्षित गांव के 10 युवा नेता इस प्रकार से चयनित किया जाये कि उनमें से दो व्यक्ति क्रमशः 13–19 वर्ष, 20–24 वर्ष, 25–29 वर्ष, 30–35 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक आयु समूह के हों तथा इनका अनुपात 70% पुरूष और 30% महिलाओं का है।

यहॉ यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन युवा नेताओं के प्रशिक्षण के उपरांत इनकी स्वैच्छिक सेवाओं का उपयोग कमजोर वर्गों और उच्च जोखिम व्यक्तिगत/परिवारों की पहचान करने और घर घर जाकर ग्राम स्तरीय बेसलाईन सर्वेक्षण व्यक्तिगत सर्वेक्षण और सहकर्मी शिक्षा गतिविधियों और

इसके साथ साथ इन बुरी आदतों की लत के प्रति जागरूकता उत्पत्ति और बचाव के लिए इस परियोजना की गतिविधियों को आयोजित किया जाये और इस लत के इलाज के लिए पेशेवर मदद की आवश्यकता है।

प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर मंडल निदेशक द्वारा तदनुसार 100 प्रतिभागियों के लिए नीचे दिए गए नमूने के साथ बजट आंवटित किया जायेगा।

युवा क्लब के नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बजट निम्नानुसार है

क.सं.	बजट के प्रमुख ब्यौरे	कुल कीमत
1	100 प्रतिभागियों @ 50 प्रति भागीदार विषय का खर्च	₹ 5,000.00
2	100 व्यक्तियों के लिए संदर्भ सामग्री @50 प्रति व्यक्ति (100X50)	₹ 5,000.00
3	सम्मेलन स्थल / तम्बू घर लेख / सार्वजनिक पते प्रणाली के किराए पर लेना	₹ 2,500.00
5	जलपान और भागीदार प्रति 100@ ₹ 75 प्रतिभागियों के लिए दोपहर के भोजन के काम (100X75)	₹ 7,500.00
7	टैक्सी 1 / वाहन किराए पर लेना@2 दिनों के लिए प्रति दिन 1,000 (पीओएल खर्च के अनन्य)(2X1000)	₹ 2,000.00
8	फोटोग्राफी सहित रिपोर्टिंग	₹ 1,000.00
9	संगठानात्मक आकस्मिक व्यय	₹ 1,000.00
	कुल योग	**₹ 24,000.00**
	कुल लागत 300 प्रशिक्षण कार्यक्रम (300 X 24000)	**₹ 72,00,000.00**
	₹ बहत्तर लाख मात्र	

चरण–2

स्थिति विश्लेषण– व्यक्तिगत संपर्क और सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम

यह गतिविधि पर्यायवरण निर्माण के साथ आरंभ की गई थी जिसमें स्थानीय युवा नेताओं, राजनैतिक नेताओं, धार्मिक एवं समुदायिक नेताओं को जीताने के लिए वकालत की जायेगी। जोकि ग्राम स्तर पर परियोजना की गतिविधियों के लिए कार्यवाही स्थिरता, भागीदारी और सहयोग प्रदान करेंगें।

तत्पश्चात युवाओं की मनोवृत्ति, आचरण और व्यवहार और नशीली दवाओं और मद्यपान संबंधी वर्तमान परिस्थिति के आंकलन उद्देश्य से युवाओं और उनसे ऊपर के आयु समूहों (13–19 वर्ष, 20–24 वर्ष, 25–29 वर्ष, 30–35 वर्ष और 35–ऊपर) और इसके साथ – साथ, नशे और मद्यपान की स्थिति और हद के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करने के लिए लक्षित गांवों में घर घर जाकर अनुबंध–5 में दिए गए सर्वेक्षण प्रपत्र के अनुसार सर्वेक्षण किया जायेगा जिससे नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा दी गई मार्गनिर्देशिका के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप से समय समय पर तैयार किया जायेगा।

निर्धारित प्रश्नावली के अलावा लक्षित गांवों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु इन गतिविधियों के लिए स्कूल और कॉलेजों की विद्यमानता, और अवसरों के संबंध में शिक्षा का स्तर और इसके साथ साथ वह लोग जिनकी समुदाय के लोग सुनते हैं और अनुपालन करते हैं, और तदानुसार गतिविधियों के

निर्धारण की वरीयता, अपेक्षित सेवाओं, विभिन्न स्तरों पर समन्वय एजेंसियॉ और भागीदारों का भी मूल्यांकन किया जायेगा।

कृपया नोट करें कि उपरोक्त के अलावा इस सर्वेक्षण के दौरान लक्षित श्रोतागण (जिनसे सर्वेक्षण के प्रपत्र के बारे में पूछा गया था)। को भी सर्वेक्षणकर्ता द्वारा (एन.वाई.सी. और गांव के प्रशिक्षित युवा नेता) मूलभूत बचाव संदेशों और प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों संबंधी जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जायेगा और पूछे गए प्रश्नों के प्रति उपलब्ध कराई गई जानकारी और जागरूकता के स्तरों में अंतर को देखा जायेगा। इस गतिविधि के दौरान गांव में उत्तरदाताओं और अन्य को भी मीडिया कार्यशाला के तह्त तैयार की गई सामग्री दी जायेगी और उनसे वचन लिया जायेगा कि – मैं निर्णय लेता हॅू– मैं कभी नशीली दवाओं का सेवन नहीं करूॅगा और दूसरों को भी इससे बचाने की सहायता करूॅगा/करूॅगी। इससे किशोरों और युवाओं इनके अभिभावकों, अध्यापकों और समुदाय के अन्य नेताओं के बीच जागरूकता और सुरक्षाकारको को मजबूती मिलेगी।

ग्राम आधारभूत सर्वेक्षण – पंजाब में व्यक्तिगत संपर्क और सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम

- गांवों की संख्या – 3,000 (100%)
- इस परियोजना के तहत लक्ष्य समूह (5) – किशोर, युवा एवं इनसे ऊपर (13–19, 20–24, 25–29, 30–35 और 35–ऊपर)
- प्रत्येक 5 समूहों के लिए साक्षात्कार लिये जाने व्यक्तियों की संख्या – न्यूनतम 20
- गांवों में साक्षात्कार लिए गए व्यक्तियों की संख्या – न्यूनतम 100 व्यक्ति (5 आयु समूह X प्रत्येक आयु समूह के 20 व्यक्ति)
- कुल नमूना आकार – 3,000 गांव X 100 व्यक्ति प्रति गांव = पंजाब में 3,00,000 गांव

रणनीति – किस प्रकार आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित किए जायें

- जिला युवा समन्वयक, एस.पी.ओ., डी.पी.ओ. को प्रशिक्षण दिया जायेगा और इनके साथ चर्चा की जाये की सर्वेक्षण प्रपत्र किस प्रकार से भरा जाना है और स्वयं एक प्रपत्र नमूने के रूप में भरे और यदि कोई समस्या हो तो उस पर चर्चा करें और उसे सही करें।
- एन.वाई.सी. को प्रशिक्षण प्रदान करना– जोकि 30 या अधिक गांवों के समूह पर कार्य करेगें और इनके साथ चर्चा की जाये की सर्वेक्षण प्रपत्र किस प्रकार से भरा जाना है और स्वयं एक प्रपत्र नमूने के रूप में भरे और यदि कोई समस्या हो तो उस पर चर्चा करें और उसे सही करें।
- गांव के युवा मंडल नेताओं और अन्य नेताओं को प्रशिक्षण देना – संबंधित 5 आयु समूहों के (प्रत्येक गांव से 10) पुरूष – महिला (70% – 30%)।
- युवा नेताओं को सही प्रकार से अभिमुख कराया जाये और सर्वेक्षण प्रपत्र को भरने, साक्षात्कार, तालमेल स्थापित करने और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दिए गए प्रश्नों पर बहस न करने पर आदि का अभ्यास कराया जाये। उन्हें नियमित रूप से प्रेरित

किया जाये और वे सर्वेक्षण प्रपत्र को समय सीमा के अनुसार भरने के लिए प्रेरित किया जाये। इस प्रकार से भरा जाना है उसका अभ्यास कराना है

- एन.वाई.सी. के साथ युवा नेताओं की संख्या – 30 गांव X 10 = 300 गांव या अधिक जैसाकि मामला हो।
- सर्वेक्षण प्रपत्र के माध्यम से न्यूनतम 10 व्यक्तियों का साक्षात्कार प्रत्येक युवा नेता अपने गांव में करेगें।
- बेस लाईन सर्वेक्षण का कार्य एन.वाई.सी. द्वारा चर्चा के साथ आरंभ किया जायेगा और वे 10 युवा नेताओं और अन्य (अध्यापक, अभिभावक, धार्मिक नेता आदि) का चयन ग्राम प्रधान करेगें और जिन्होंने जिला सम्मेलन में भाग लिया हो।
- जो जिला सम्मेलन में भाग लेगें उनसे सहयोग भी प्राप्त किया जायेगा।
- सर्वेक्षण व्यकितगत संपर्क के माध्यम से घर–घर जाकर किया जायेगा और अंत में आई.ई.सी. सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी। और चर्चा, प्रशिक्षित किया जायेगा और उत्तरदाताओं की जानकारी के अंतराल को कम किया जायेगा। उन्हें बचाव एवं नशा मुक्ति केन्द्र के लिए संदर्भ जानकारी (अतः तर्क व्यक्तियों का नाम तथा फोन नम्बर आदि) उपलब्ध कराई जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर युवा नेताओं के प्रशिक्षण के तुरंत बाद बेस लाईन सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया जायेगा।
- एक या दो दिन में युवा नेता सर्वेक्षण प्रपत्र के माध्यम से 10 लक्ष्य समूह किशोर युवा और और उनसे ऊपर (13–19 वर्ष, 20–24 वर्ष, 25–29 वर्ष, 30–35 वर्ष और 35–ऊपर) के व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार करेगें।

प्रपत्र को भरे जाने का तरीका –

सूचना एकत्रीकरण का तरीका – साक्षात्कार एवं चर्चा

नमूना एकत्रीकरण – 30% महिलाओं और 70% पुरूषों को कवर करते समय बीच बीच में से

गांव में सर्वेक्षण क्षेत्र का चयन – अंतरवर्गीय जैसे परिवारों का चयन इस प्रकार से किया जाये जिससे कि गांव के विभिन्न इलाकों में रहने वाले विभिन्न समुदायों के समस्त वर्गों को कवर किया जा सके। उदाहरण के तौर पर एक गांव में यदि 5 वर्ग या समुदाय के लोग रहते हैं तो इस प्रकार प्रत्येक गली में जहॉ एक ही समुदाय के लोग रह रहे हैं वहॉ आवंटित आयु समूह से सर्वेक्षण प्रपत्र को भरने के लिए 2 लोगों से साक्षात्कार किया जायेगा। इसलिए युवा नेता जिसे एक आयु समूह के 10 लोग साक्षात्कार के लिए आवंटित किए गए हैं (जैसा 13–19 वर्ष) वह 5 गलियों का दौरा करेगा और वहॉ प्रत्येक गली के 2 लोगों के साथ साक्षात्कार करेगा। इसके अतिरिक्त गली में से बीच बीच

में से किया जायेगा। उदाहरण के तौर पर एक परिवार का चयन गली के आरंभ में से किया जा सकता है और अन्य का बीच या गली के अंत में से किया जा सकता है।

- ○ एक से अधिक जवाब – उत्तर एक या अधिक हो सकते हैं।
- ○ उत्तर केवल सही का निशान लगाकर दें या बॉक्स में उत्तर लिखें जैसा भी मामला हो।
- ○ उत्तरदाता का नाम न पूछें।
- ○ प्रपत्र में केवल संख्या लिखें जैसे 1–10 (गांव के युवा नेता को लक्ष्य दिया गया है)।
- ○ युवा नेता सर्वेक्षण प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर करें और तिथि लिखें।

- इस प्रकार यह कार्य जुलाई 2011 तक पूरा हो जाना चाहिए और बेस लाईन सर्वेक्षण के समस्त प्रपत्र को सही प्रकार से भरकर जिला नेहरू युवा केन्द्र को भेजने होगें अनुबंध–6 में दिए गए प्रपत्र में भरकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

चरण–3

गांव में तथा लक्षित क्षेत्र के स्कूलों एवं कॉलेजों में उद्देश्यवार और चरणवार सामान्य न्यूनतम गतिविधियों का विवरण

जागरूकता उत्पत्ति – एक आरंभिक बिन्दु : राष्ट्रीय बचाव कार्यक्रम की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि 80% लोगों में शराब का इस्तेमाल किया था उन्होंने इसका इस्तेमाल जारी रखने में यही बात 70% केनाईस इस्तेमाल करने वालों 65% ओपिएट करने वालों ने कही है। यह बात यह दर्शाती है कि नशीली दवाओं के सेवन नशे की आदत को बढावा देता है। समुदाय में जागरूकता का तात्पर्य विशेषकर युवाओं में बढाने की आवश्यकता है जिससे की उन्हें नशे एवं मद्यपान की बुराईयों के बारे में जानकारी मिल सके।

निरंतर चल रहे बचाव कार्यक्रम : इस कार्यक्रम की पहल केवल मिथको को ही नहीं छोडती बल्कि निरंतर संचार के परिणामस्वरूप एक छोटी अवधि में एक अगले स्तर पर जागरूकता लाती है और व्यवहार के स्तर में भी कुछ परिवर्तन लाती है इसलिए वहॉ एक निरंतर बचाव कार्यक्रम पर वार्ता को जारी रखना एक तकनीकी आवश्यकता है।

परियोजना के उद्देश्य	गतिविधि कोड नं.	वतावरण निर्माण तथा ग्राम स्तरीय कार्यक्रम (स्थानीय स्कूलों सहित)	कार्यक्रमों की संख्या औसती	
			ग्राम स्तरीय	जिला स्तरीय
प्रशिक्षण	टीपीसीबी	क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम		
	टीपीसीबी–1	प्रमुख युवा नेताओं, पंचायती राज के सदस्यों, धार्मिक नेताओं, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों, किशोरों और युवाओं के माता–पिता, शिक्षकों आदि के साथ जिला स्तरीय सम्मेलन		01
लक्षित गावो में वर्तमान स्थिति का आंकलन करना और युवा लोगों को मद्यपान और उसके स्तर में वर्गीकृत करना	टीपीसीबी–2	युवा क्लब के नेताओं के लिए जिले के दो ब्लॉक के 60 गांवों से (प्रत्येक लक्षित गांव से 10 प्रतिभागियों) ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम		
	एसए	स्थिति विश्लेषण – व्यक्तिगत संपर्क और सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम		चयनित जिले में गांवों की संख्या के गुणा के आधार पर ग्राम स्तरीय गतिविधियों की
	एसए–1	वातावरण निमार्ण	प्रत्येक गांव में	

		• स्थानीय युवा, राजनीतिक नेतृत्व, धार्मिक और सामुदायिक सुनिश्चित करने के लिए वकालत करना –जोकि परियोजना गतिविधियों को सहयोग, भागीदारी और निरन्तरता प्रदान करेगें ।		संख्या
माता पिता व शिक्षकों को संवेदनशील करना और उनमें कौशल विकसित करना जिससे कि वे युवाओं के मनोविज्ञान को समझ सकें और उन्हें शराब और नशीली दवाओं के दुरूपयोग से दूर रखने में मदद कर सकें ।	एसए–2	लक्षित 60 गांव में एक प्रश्नावली के माध्यम से किशोरों, युवाओं और ऊपर आयु समूहों के बीच घर –घर जाकर सर्वेक्षण किया। (जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा जा सकता है और समय समय पर अद्यतन किया जा सकता है)	प्रत्येक गांव में	
	एफजी	केन्द्रित समूह– राजनीतिक और धार्मिक नेताओं,और माता पिता और शिक्षकों के साथ बातचीत, संवेदीकरण प्रेरित करना ।	विभिन्न	
	एफजी–1	नशीली दवाओं के सेवन और मद्यपान के बारे में धार्मिक नेताओं, माता पिता, और शिक्षकों के साथ बात करना ।	4	उपरोक्तानुसार
	एफजी–2	विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, राजनीति, धार्मिक नेताओं, माता पिता और शिक्षकों के साथ केन्द्रित समूह चर्चाएँ और बैठक करना।	4	उपरोक्तानुसार
	एफजी–3	नशेडियों के पुनर्वास के लिए परिवार, समाज, धार्मिक, राजनीतिक लोगो से समर्थन जुटाना	परिवर्तनशील	उपरोक्तानुसार
लक्षित श्रोतागण को शिक्षित करना और उनमें शराब और नशीली दवाओं के दुरूपयोग और स्वास्थ्य निर्भरता पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के परिणाम और प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना ।	एफजी–4	नशे एव मद्यपान से बजाओ और उन पर काबू पाने पर कहानियॉ सुनाना और प्रकरण अध्ययन करना ।	4	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी	सामाजिक और मास शैक्षिक कार्यक्रम		उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–1	ग्राम संयुक्त कार्य योजना तैयार करना ।	1	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–2	उदेश्य आधारित गीत–रॉक बैंड, पारंपरिक और अन्य पंसदीदा ।	5	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–3	रैलियॉ– जन जागरूकता उत्पत्ति, शैक्षिक और उत्प्रेरणा अभियान तथा आईईसी सामग्री का वितरण	5	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–4	नशे एव मद्यपान से बजाओ और उन पर काबू पाने पर कहानियॉ सुनाना और प्रकरण अध्ययन करना ।	5	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–5	अभ्यास योग और आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में स्थानीय समुदाय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं	20	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–6	नशीली दवाओं के सेवन और शराब के खिलाफ गतिविधियॉ आयोजित करना तथा विभिन्न अवसरों पर आयोजित समारोहों में शपथ लेना ।	10	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–7	विशेषज्ञों द्वारा सार्वजनिक व्याख्यान और आईईसी सामग्री का वितरण।	5	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–8	दीवार लेखन और शराब और नशीली दवाओं के दुरूपयोग के निषेध पर पोस्टर अभियान ।	100	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–9	उद्येश्य आधारित नुक्कड नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ।	5	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–10	गांव में स्कूल में चित्रकारी प्रतियोगिताओं का आयोजन	5+5	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–11	गांव और स्कूल कॉलेज स्तर पर नारा व निबंध	5+5	उपरोक्तानुसार

		प्रतियोगिताओं का आयोजन ।		
	एसएमईपी–12	शराब और नशीली दवाओं के दुरूप्योग से संबंधित मुद्दों पर स्क्रिप्ट लेखन प्रतियोगिता	2	उपरोक्तानुसार
	एसएमईपी–13	स्कूलों और कॉलेजों में युवा लोगों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढावा देने के लिए व्याख्यान ।	5	उपरोक्तानुसार
शराब और नशीली दवाओं के दुरूपयोग के प्रति लक्षित समूह को प्रशिक्षित करना और स्वस्थ जीवन व्यतीत करनें के लिए पेशेवर मदद की जरूरत के बारे में जानकारी देना	एसएमईपी–14	राष्ट्रीय दिवसों (26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर)और नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस (26 जून)पर विशेष जागरूकता अभियान ।	4	उपरोक्तानुसार
	एफजीएवाई	किशोरों और युवाओं का केन्द्रित समूह जिन्होने नशीली दवाओं और मद्यपान आरंभ कर दिया है ।		उपरोक्तानुसार
	एफजीएवाई–1	सहकर्मी शिक्षा गतिविधियॉ	20	उपरोक्तानुसार
	एफजीएवाई–2	नशीली दवाओं के सेवन मद्यपान करनें वाले कमजोर लोगों के पहुंच रहित स्थानों तक पहॅुचना ।	विभिन्नता	उपरोक्तानुसार
	एफजीएवाई–3	नशे एव मद्यपान से बजाओ और उन पर काबू पाने पर कहानियॉ सुनाना और प्रकरण अध्ययन करना ।	5	उपरोक्तानुसार
उच्च जोखिम वाले समूहों / व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें नशा मुक्ति के लिए आवश्यक और समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करें ।	एफजीएवाई–4	विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, राजनीति, धार्मिक नेताओं, माता पिता और शिक्षकों के साथ केन्द्रित समूह चर्चाऍ और बैठक करना।	5	उपरोक्तानुसार
	एएस	सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ।		
	एएस–1	नशेडी / परिवारों और कमजोर लक्षित समूहों की पहचान करना	10	उपरोक्तानुसार
	एएस–2	केन्द्रित समूह चर्चा और प्रभावितों के साथ बैठक	2	उपरोक्तानुसार
	एएस–3	नशीली दवाओं के सेवन और मद्यपान पर काबू पाने के लिए बोलने वाली कहानियॉ सुनाना और प्रकरण अध्ययन करना ।	2	उपरोक्तानुसार
	एएस–4	स्थानीय विशेषज्ञों, गांव के बुजुर्गों, प्रवक्ता व्यक्तियों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं, अभिभावकों और अध्यापकों और जो सम्मानीय और जिन्हें गांवों के समुदायों के लोग सुनते है उनके द्वारा नशेडियों की कांउसिलिंग ।	6	उपरोक्तानुसार
	एएस–5	नशेडीयों को उबारना और उन्हें नशा मुक्ति शिविरों में जाने के लिए प्रेरित करना ।	विभिन्नता	01
	एएस–6	जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में 40 प्रतिभागियों	विभिन्नता	40

		के लिए 15 दिन के लिए जागरूकता सह नशा मुक्ति शिविर के माध्यम से नशा मुक्ति शिविर में प्रभावित व्यक्तियों की भागीदारी ।		
प्रभाव आंकलन	1 ए	प्रभाव आंकलन और विस्तृत विश्लेषण के द्वारा प्रत्येक गांव में कार्यान्वयन के अंत में रिपोर्ट और दस्तावेजीकरण ।	प्रत्येक गांव में	

ग्राम स्तरीय गतिविधियों के लिए बजटः चयनित ग्राम स्तरीय गतिविधियों के लिए रूपये 4,000 प्रति गांव

(रूपये 4,000X जिले में परियोजना के अंतर्गत लक्षित गांवों की संख्या = कुल रूपये..................)

जिला स्तरीय जागरूकता तथा नशा मुक्ति शिविर –

घर घर जाकर सर्वेक्षण प्रक्रिया – व्यक्तिगत संपर्क और सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम और इसके साथ साथ ग्राम स्तरीय गतिविधियों के दौरान युवा नेता, एन.वाई.सी. लोगों को नशे एवं मद्यपान के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगें, नशे की समस्याओं को दूर करने के लिए नशा मुक्ति केन्द्र जाने के लिए प्रेरित करेगें और उन्हें उनके आस पास के इस प्रकार के केन्द्रों के संपर्क व्यक्ति और केन्द्र का पता देगें। इस गतिविधि की रिपोर्ट अनुबंध–7 में दिए गए प्रपत्र के साथ भरकर भेजें।

इस गतिविधि के दौरान युवा नेता और अन्य नशे के आदि व्यक्ति जोकि नशे से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन अपनी वित्तीय स्थिति के कारण या अन्य समस्याओं के कारण नशे से मुक्त नहीं हो पाते हैं और अंत में पुनः नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क करेगें।

इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर वित्तीय स्थिति एवं अन्य पहलुओं पर विचार कर सरकार द्वारा सहायता और उनके क्षेत्र के आस पास के नशामुक्ति केन्द्र इलाज कराने के लिए प्रायोजित करने हेतु विचार किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए जिला युवा समन्वयक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जायेगें और प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर जिला युवा समन्वयक की अध्यक्षता में इस परियोजना के अंतर्गत 40 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

जागरूकता सह नशा मुक्ति शिविर का बजट अनुमान निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	प्रतिभागियों का बजट ब्यौरा	कुल लागत
1	भोजन एवं आवास व्यय @ 150 प्रति प्रतिभागियों के लिए 40 प्रतिभागी 15 दिन के लिए (40X15X150)	₹ 90,000.00
2	40 प्रतिभागियों के लिए आन जाने का खर्च प्रति 100 (40X100)	₹ 4,000.00
3	आईआरसीए कर्मचारियों के लिए भत्ता	₹ 12,000.00
4	दवायें	₹ 6,000.00
5	परिवहन	₹ 4,500.00
6	आकस्मिक व्यय (प्रशिक्षण हॉल का किराया और अन्य आवश्यक	₹ 7,500.00

	उपकरणों एवं व्यय सहित)	
7	प्रचार	₹ 1,500.00
	कुल योग	**₹ 1,25,500.00**

परियोजना लागत – राज्य/जिला स्तर

क्र.सं.	प्रबंधन स्थिति	संख्या/ यूनिट	समयावधि	प्रति माह यूनिट लागत	कुल लागत
1	राज्य परियोजना अधिकारी	01	10 माह	₹ 15,000.00	₹ 1,50,000.00
2	राज्य स्तर पर परियोजना सहायक	01	10 माह	₹ 7,500.00	₹ 75,000.00
3	जिला परियोजना अधिकारी	10	10 माह	₹ 10,000.00	₹ 10,00,000.00
4	एन.वाईसी. सेवकों को मानदेय	100	10 माह	₹ 2,500.00	₹ 25,00,000.00
5	राज्य स्तर पर स्थापना/कार्यालय व्यय	01	10 माह	₹ 10,000.00	₹ 1,00,000.00
6	राज्य स्तर पर परियोजना पदाधिकारियों के टीए/डीए	01	10 माह	₹ 5,000.00	₹ 50,000.00
7	जिला स्तर पर स्थापना/कार्यालय व्यय	10	10 माह	₹ 3,000.00	₹ 3,00,000.00
8	जिला स्तर पर परियोजना पदाधिकारियों के टीए/डीए	10	10 माह	₹ 2,000.00	₹ 2,00,000.00
9	राज्य स्तर पर परियोजना संबंधी दस्तावेजीकरण तथा अंतिम रिपोर्ट का कुल मिलाकर प्रस्तुतीकरण	एनए	एनए	एनए	₹ 20,000.00
	परियोजना प्रबंधन का कुल योग				₹ 43,95,000.00
	रूपये तैंतालीस तीन लाख पंचानवे हजार मात्र				

पंजाब में कुल परियोजना लागत रूपये 2,60,19,500

परियोजना के अंतर्गत अपेक्षित परिणाम

मात्रात्मक

अंतरिम रूप से उम्मीद है कि प्रत्येक लक्षित गांव में 250 गतिविधियाँ (सुझाई गई गतिविधियों की संख्या **) आयोजित की जायेगी। इस प्रकार से पंजाब राज्य के 10 जिलों के 75 ब्लॉकों के 3000 गांवों में कुल 250 गतिविधियाँ प्रत्येक गांव X 3000 गांव =7,50,000, गतिविधियाँ परियोजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जायेगीं।

गुणात्मक

- घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण (परिस्थिति विश्लेषण, प्रभाव तथा आंकलन का उपयोग भविष्य की परियोजना और विकास) विकासशील, रणनीतियों और पंजाब राज्य में नशे और

मद्यपान के दुष्परिणामों को रोकने के लिए तैयार की जाने वाली रणनीतियों एवं योजनाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

- पंजाब के राज्य सरकार के लिए मूलभूत आधार उपलब्ध कराना और संबंधित विभागों को स्थिति की निगरानी के लिए कार्यक्रम एवं गतिविधियों को तैयार करने में सहायता करना।
- मानव संसाधन को प्रशिक्षित एवं विकसित करना (एस पी.ओ., 10 डी.पी.ओ., 100 एन.वाई.सी स्वयं सेवक और 3000 युवा मंडल नेता) जोकि नशा एवं मद्यपान के दुष्प्रभावों के प्रति निवारण शिक्षा और जागरूकता उत्पत्ति के क्षेत्र में सहकर्मी दबाव समूह, सामाजिक रक्षक, संदर्भित व्यक्ति और कार्यान्वयनकर्ता के रूप में कार्य कर सके।
- 32000 युवा नेताओं, पी.आर.आई. सदस्यों, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, किशोरों एवं युवाओं के अभिभावक, अध्यापक आदि को प्रेरित एवं संवेदनशील करना जोकि नशे एवं मद्यपान से संबंधित मुद्दों पर समाधान एवं सहयोगी के रूप में कार्य कर सकें।
- 3000 गांवों के ग्राम समुदाय के किशोरों एवं युवाओं के बीच नशे एवं मद्यपान के प्रति जागरूकता लाना और प्रशिक्षित करना और उससे बचाव के लिए प्रेरित करना और सहकर्मी, दबाव समूह और सामाजिक रक्षक के रूप में कार्य करना।
- 400 प्रतिभागियों की पहचान करना और उन्हें 15 दिवसीय नशा मुक्ति केन्द्र में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराना।
- परियोजना कार्यान्वयन मार्गनिर्देशिका, परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया दस्तावेज, और गतिविधियॉ, रिपोर्ट, सबक सीखना, और सफल अनुभवों का नेहरू युवा केन्द्र संगठन एवं सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा भविष्य की योजना के लिए उपयोग किया जाना।

प्रबोधन एवं मूल्यांकन

इस परियोजना का प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण का कार्य निदेशक कार्यक्रम संयुक्त निदेशक एवं सहायक निदेशक परियोजना निदेशक मुख्यालय स्तर पर देखेगें जबकि क्षेत्र स्तर पर प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण का कार्य पंजाब राज्य के मंडल निदेशक, राज्य परियोजना अधिकारी, जिला युवा समन्वयक देखेगें। परियोजना की प्रगति रिपोर्ट, निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियॉ और अपेक्षित परिणामों का संचालन कार्य एम.आई.एस. के प्रपत्रों, (निबंध, आर्ट नेहरू युवा केन्द्र के प्रपत्र/उपयोग में आने वाले पैटेंन के उपयोगिता प्रमाण पत्र) रिपोर्टों और परियोजना क्षेत्रों का दौरा, कार्यान्वयनकर्ताओं, पर्णधारियों और लाभार्थियों के साथ समय समय पर अनुपालन के माध्यम से रखा जायेगा।

प्रभाव आंकलन

उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना के अंत में प्रभाव आंकलन का अध्ययन किया जायेगा। इसकी तुलना जानकारी के स्तर, जागरूकता, अभ्यासों, किशोरों और युवाओं में नशे एवं मद्यपान के प्रति रवैया एवं व्यवहार और दूसरी तरफ एक तरफ युवाओं और दूसरी तरफ युवा लोगों के स्तर एवं नशे के सेवन की हद के वर्गीकरण के संबंध में आयोजित आधारभूत सर्वेक्षण (ग्राम स्तरीय गतिविधियों के कार्यान्वयन से पहले) के परिणामों के साथ की जायेगी।

जबकि यह एक पायलेट परियोजना है इसलिए इसका वास्तविक प्रभाव मध्यम अवधि/दीर्घ अवधि के उद्देश्यों से पता लगाया जा सकता है कि इस परियोजना के दायरे से परे होगा। बहरहाल इस परियोजना के अंत में तुलनात्मक विश्लेषण जानकारी का स्तर, जागरूकता, अभ्यास और नशे एवं मद्यपान के प्रति किशोरों एवं युवाओं के प्रति व्यवहारात्मक रवैया के प्रति अंतर दृष्टि उपलब्ध करायेगा। इसके साथ साथ यह जानने की सुविधा उपलब्ध करायेगा कि कितने प्रभावित व्यक्तियों को इससे दूर किया गया या परामर्श के द्वारा या नशा मुक्ति और सुधार प्रक्रिया के द्वारा ठीक किया जायेगा।

पंजाब में समग्र परियोजना कार्यान्वयन योजना, गतिविधियॉ एवं समय सीमा

परियोजना गतिविधि– इसकी संख्या अवधि, लाभार्थी, और कवरेज	परियोजना कार्यान्वयन समय सीमा (12 माह)											
	अप्रैल 11	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी 12	फरवरी	मार्च
परियोजना का संक्षिप्त विवरण, प्रचालन योजना, गतिविधियॉं, समय सीमा, अपेक्षित परिणाम तैयार करना और इस पर पंजाब राज्य के नेहरू युवा केन्द्र संगठन के मंडल निदेशक के साथ, जिला युवा समन्वयक के साथ चर्चा करना												
10 परियोजना जिलों के ब्लॉकों और गांवों की संख्या 30000 और 75 ब्लॉक व सूची की पहचान चयन और अंतिम रूप देना												
परियोजना कार्यकर्त्ताऔं का चयनजैसे राज्य परियोजना अधिकारी, परियोजना सहायक, 10 जिला परियोजना अधिकारी और चयनित 75 ब्लॉकों में से प्रत्येक से 1 या 2 एन.वाई.सी स्वयं सेवक कुल 100 एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों का 10 माह के लिए चयन												
परियोजना कार्यान्वयन की मार्गनिर्देशिका, एन.वाई.एस. और उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रपत्र तैयार करना और पंजाब में नेयुकेसं के मंडल निदेशक, उपनिदेशक एवं जिला युवा समन्वयक के साथ इस पर चर्चा करना।												
क्षमता निर्माण के प्रशिक्षण कार्यक्रम												
पंजाब राज्य के लिए परियोजना का शुभारंभ समारोह												
राज्य के परियोजना अधिकारी, परियोजना सहायक, 10 जिला परियोजना अधिकाारी, अधिकारियों को प्रशिक्ष, आई.ई.सी. सामग्री तैयार करना–एक 4 दिवसीय राज्य स्तरीय परियोजना आधारित अभिमुखीकरण, कुल 25 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण एवं मीडिया कार्यशाला, इसमें सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञ भी शामिल हैं।												
पंजाब में क्षेत्रीय स्तर पर 100 प्रतिभागियों के लिए एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों के लिए 3 दिवसीय 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम												
प्रमुख युवा नेताओं, सी.आर.आई. सदस्यों, क्षेत्रीय नेताओं, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, किशोरों एवं युवाओं के अभिभावको, अध्यापकों के लिए 1 दिवसीय 10 जिला स्तरीय सम्मेलन, (2000 प्रतिभागी प्रत्येक जिले से 200)												
10 जिलों में 75 ब्लॉकों में 3000 गांवों में से ब्लॉक स्तर पर 30000 युवा मंडल नेताओं के लिए 300 एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। लक्षित जिले के गांवों की संख्या के आधार पर 25–45 प्रशिक्षण प्रति जिला												
परिस्थिति सर्वेक्षण–व्यक्तिगत संपर्क एवं सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम घर घर जाकर सर्वेक्षण में लक्षित 3000 गांवों में प्रश्नावली (जिसे इलैक्ट्रॉनिक रूप से समय समय पर अद्यतन किया जायेगा)। के माध्यम से नशा एवं मद्यपान के सेवन के स्तर के आधार पर युवाओं को वर्गीकृत करने की सुविधा मिलेगीः तदनुसार गतिविधियों की वरीयताऍ, अपेक्षित सेवाओं एवं समन्वय संस्थाओं का निर्धारण किया जायेगा।												
प्रत्येक 10 जिला कार्यान्वयन योजनाओं को तैयार करना												
10 जिलों के 75 ब्लॉकों के 3000 गांवों में सामान्य, न्यूनतम गतिविधियों का आयोजन												
400 प्रतिभागियों के लिए 15 दिवसीय 10 जिला स्तरीय जागरूकता सह नशा मुक्ति शिविर												

सर्वेक्षण, उपलब्धि रिपोर्ट एवं दस्तावेजीकरण, अंतिम वास्तविक रिपोर्ट एवं परियोजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना और उसे सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय को प्रस्तुत करने के बाद प्रभाव आंकलन किया जायेगा।												

अनुबंध–1

पंजाब में नशा एवं मद्यपान मुक्ति के लिए जागरूकता एवं शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिले में ब्लॉक एवं ग्राम युवा मंडल का चयन

जिला युवा समन्वयक का नाम ....

मंडल निदेशक का नाम ....

नेहरू युवा केन्द्र का नाम ....

जिला ....

राज्य ....

महीना ....

ब्लॉक (अ) नेयुके एन.वाई.सी. और परियोजना के तहत उनके समूह के गठन (30 या अधिक गांव प्रति एन.वाई.सी.) और गांव का नाम

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	गांव का नाम	युवा क्लब का नाम व पता			गांव को आवंटित एन. वाई.सी. का नाम	
			सक्रिय (अ)	विद्यमान (ब)	कुल (अ)+(ब)	परियोजना के तहत एन.वाई. सी	नेयुके कार्यक्रम के तहत एन.वाई. सी.

पंजाब में नशा एवं मद्यपान से बचाव के लिए परियोजना जागरूकता एवं शिक्षा पर ग्राम सलाहकार समिति की संरचना

1	पंचायत/ग्राम प्रधान	:	अध्यक्ष
2	युवा मंडल अध्यक्ष	:	उपाध्यक्ष
3	2 स्थानीय धार्मिक नेता	:	सदस्य
4	स्कूल/कॉलेज के अध्यापक	:	सदस्य
5	गांव के युवा मंडल एवं एन.एस.एस, एन.सी.सी., बी.एस.जी., स्वयंसेवकों के 3 प्रतिनिधि	:	सदस्य
6	ग्राम सेवक एवं सेविका	:	सदस्य
7	नशा एवं मद्यपान के क्षेत्र के कार्यरत स्थानीय, गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि	:	सदस्य
8	एक सामाजिक कार्यकर्त्ता/गतिविधिकर्त्ता	:	सदस्य
9	1 महिला गतिविधिकर्त्ता	:	सदस्य
10	नेहरू युवा केन्द्र के राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवक	:	सदस्य/सचिव

समिति की बैठक मासिक रूप से आयोजित की जानी चाहिए जिससे कि समस्त जानकारी और ग्राम स्तर पर परियोजना की प्रगति एवं प्रबोधन किया जा सके। बैठक के दौरान भविष्य की कार्य योजना, परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए कार्यान्वयन को और अधिक मजबूत करने और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा की जायेगी। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा जमीनी स्तर पर इसी प्रकार की गतिविधियॉ आयोजित वाली संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करेगी और गांव के अंदर आने वाली समस्याओं और टकरावों के बारे में जानने का भी प्रयास करेगी, यदि कोई हो तो, परियोजना को प्रभावित कर सकती है।

समिति समय समय पर परियोजना की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगी और लाभार्थी उसके बचाव के उपाय सुझाव सकते हैं इसके अतिरिक्त समिति न केवल वास्तविक एवं वित्तीय रूप से परियोजना की समग्र प्रगति का प्रबोधन ही नहीं करेगी बल्कि इसकी निरंतरता एवं स्थायित्व को भी सुनिश्चिति करेगीं।

इसके अतिरिक्त विगत बैठक के कार्यावृत्त एवं अनुपालन कार्यवाही पर भी चर्चा की जायेगी। बैठक के तुरंत बाद एन.वाई.सी. द्वारा बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जायेगें लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी।

अनुबंध–4

नशा एवं मद्यपान से बचाव के लिए परियोजना जागरूकता एवं शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक सत्र के लिए प्रशिक्षण सह मीडिया कार्यशाला और एन.वाई.सी. स्वयंसेवक प्रशिक्षण

अवधि – 4 दिन और 3 दिन

स्तर – राज्य स्तरीय/पंजाब

प्रतिभागी संख्या – राज्य परियोजना अधिकारी, परियोजना सहायक, जिला परियोजना अधिकारी, परियोजना जिले के नेहरू युवा केन्द्र का जिला युवा समन्वयक, संचार विशेषज्ञ राज्य/जिला स्तर के विभागों के अधिकारी, एन. आई.एस.डी अधिकारी और अन्य कुल 35 ।

प्रशिक्षण एवं मीडिया कार्यशाला के उद्देश्य –

- नशे एवं मद्यपान के क्षेत्र में प्रतिभागियों को जानकारी देना और उनके जागरूकता स्तर को बढाना।
- उन्हें परियोजना के बारे में, लक्षण, कार्यान्वयन रणनीतियों, संचार के प्रभावित तरीकों और अपेक्षित परिणामों के बारे में जानकारी देना।
- चयनित गांवों में लक्षित श्रोताओं के बीच आवंटन के लिए आई.ई.सी. सामग्री अपनाना और तैयार करना।

परिणाम :

- परियोजना के लिए दी गई समय सीमा में परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रतिभागियों की क्षमता वृद्धि करना।
- आई.ई.सी. सामग्री तैयार कर मुद्रण के लिए तैयार रखना।

प्रशिक्षण सह मीडिया कार्यशाला के लिए सुझाए गए शैक्षणिक सत्र – सत्र के अंत में ओपन हाऊस चर्चा, सामुहिक चर्चा, और प्रस्तुतीकरण दिया जा सकता है।

1. सत्र – नशा एवं मद्यपान – इस पदार्थ के दुष्परिणाम क्या हैं, नशे के दुष्परिणाम और आदत दोनों किस प्रकार से अलग–अलग हैं ?, नशे एवं मद्यपान के दुष्परिणामों का लोगों पर प्रभाव और कौन इसके आदि हैं, आम नशा पदार्थ जिससे कोई भी इसका आदि बन सकता है, नशे के आदत के लक्षण, नशे के जोखिम तथ्य, किशोरों के लिए चेतावनी लक्षण नशे की समस्याऍं, नशीली दवाओं के दुरूपयोग के निहितार्थ, नशे एवं उसके दुष्प्रभावों के बारे में किशोरों और युवाओं के साथ इस प्रकार बातचीत कि जाये। डीटॉक्सिफिकेशन, डीएडिक्शन और पुनर्वास क्या है और इसे किस प्रकार किया जाये।

2. सत्र – पंजाब में नशे एवं मद्यपान की स्थिति एवं समस्या– पंजाब और भारत में नशे एवं मद्यपान की घटनायें, नशा एवं मद्यपान के कारण पंजाब में नशे के प्रकार, उनके स्त्रोत और उन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है, इसके किस प्रकार संबोधित किया जाये, विभागों एवं एजेंसियों पर विचार, सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर किया जाये, लक्षित श्रोता कौन होगें, कौन इस मुद्दे पर, डीएडिक्शन और पुनर्वास का कार्य करने की सुविधा दे सकतें हैं,

3. सत्र– परियोजना के बारे में – पृष्ठभूमि, संकल्पना, कवरेज, स्कोप, लक्षित श्रोता, उद्देश्य, रणनीति, गतिविधियॉ, समन्वय, संपर्क, बजट, समय सीमा, प्रबोधन, बेसलाईन सर्वेक्षण, प्रभाव मूल्यांकन, भूमिका और उत्तरदायित्व, परिणाम, अपेक्षा, रिपोर्ट एवं प्राप्तियॉ

4. सत्र – व्यक्तिगत संपर्क एवं सह शिक्षा कार्यक्रम– घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, गतिविधियॉ, अपेक्षित परिणाम, सर्वेक्षण आरंभ करने के लिए रणनीति, स्थापना, संपर्क, परंपराओं की सहभागिता, सर्वेक्षण प्रपत्र के घटक, लक्ष्य समूह – आयु समूह 13–19 वर्ष, 20.–24 वर्ष, 25–29 वर्ष, 30–35 वर्ष और 35 से ऊपर (प्रत्येक समूह में 10) प्रति गांव 70% पुरूष और 30% महिलायें घर घर जाकर सर्वेक्षण, इस प्रकार से सर्वेक्षण प्रपत्र भरा जाये, प्रति एन.वाई.सी.+ युवा नेता प्रतिदिन लक्ष्य, समय सीमा जुलाई से मध्य अगस्त, जागरूकता एवं शैक्षिक गतिविधियों एवं बचाव संदेशों के प्रचार प्रसार सेवाओं तक पहुॅच : अभ्यास (वास्तविक रूप से सर्वेक्षण प्रपत्र को भरना और चर्चा करना)।

5. सत्र–सामुहिक चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण – परियोजना के उद्देश्यों पर कार्यान्वयन रणनीति और लक्षित श्रोताओं के लिए गतिविधियों के प्रकार, घर–घर जाकर सर्वेक्षण के लिए रणनीति एवं योजनायें एवं समय सीमा और इसके साथ–साथ एस.पी.ओ., डी.पी.ओ., एन.वाई.सी. और राज्य एवं जिला स्तर पर नेहरू युवा केन्द्र के अधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व।

6. सत्र–मीडिया–मीडिया एवं संचार क्या है और इसके संचार के प्रभावित साधन, मीडिया के प्रकार और उसके प्रभाव ग्राम स्तर पर लघु अवधि पर समय बाधित परियोजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ मीडिया, परियोजना गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए मीडिया का चयन, ग्रामीण किशोरों और युवाओं के बीच नशे एवं मद्यपान के बचाव के लिए वातावरण निर्माण करना और इसके साथ साथ उन्हें जागरूक एवं प्रशिक्षित करना, संदर्भ व्यक्तियों द्वारा लाये गए आई.ई.सी. सामग्री को संदर्भ सामग्री के रूप में आवंटित करना।

7. सत्र–10 जिला युवा समन्वयकों द्वारा अपने संबंधित जिलों से लाई गई व एकत्रित की गई आई.ई.सी. सामग्री का प्रस्तुतिकरण और चर्चा करना।

8. सत्र– आई.ई.सी. सामग्री अपनाने और विकसित करने के लिए कानूनी चर्चा और आई.ई.सी. सामग्री को तैयार करने और प्रस्तुतिकरण करना जैसे पेंमप्लेट, पोस्टर, हैंड बिल, स्लोगन, संदेश, बोशर, नुक्कड नाटक के लिए स्क्रिप्ट, डाक्यूमेंटरी, नशे एवं मद्यपान के दुष्परिणाम पर गीत आदि।

9. सत्र–अपनाई गई आई.ई.सी. पर चर्चा और मुद्रण के लिए भेजे जाने वाली सामग्री पर प्रस्तुतिकरण।

10. सत्र– जिला कार्य योजना और जिला स्थिति प्रस्तुतिकरण– प्रत्येक 10 जिला युवा समन्वयकों द्वारा (प्रत्येक के लिए 15 मिनट) अपने जिले से संबंधित प्रस्तावित कार्य योजना और इसके साथ–साथ सांख्यिकी डाटा नशे एवं मद्यपान की स्थिति पर सूचना, प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न नशीले पदार्थ, नशा एवं मद्यपान के कारणों, नशा एवं मद्यपान के स्त्रोत और इनको उनके जिले में किस प्रकार से रोका जा सकता है पर प्रस्तुतिकरण।

11. सत्र– प्रशिक्षण एवं मीडिया कार्यशाला का समेकन, संदेहों पर स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, परियोजना की सफलता के लिए सुझाव, अपेक्षित परिणाम, परियोजना से संबंधित अन्य विषयों पर विचार।

अनुबंध - 5

नेहरू युवा केन्द्र संगठन
बेसलाईन सर्वेक्षण–व्यक्तिगत संपर्क एवं सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम
परियोजना के अंतर्गत नशीली दवाओं के सेवन और शराब के रोकथाम के लिए जागरूकता शिक्षा
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से
बाक्स में उत्तर पर (√) का निशान लगायें

दिनांक:

जिले का नाम: **ब्लॉक:** **गांव:** **प्रतिवादी संख्या.:**

प्रभारी एन.वाई.सी का नाम : **युवा नेता का नाम:** **आयु:** **हस्ताक्षर युवा नेता**

क. स.	प्रश्न	संभावित जवाब
1.	आयु	☐ 13-19 ☐ 20 -24 ☐ 25 – 29 ☐ 30 -35 ☐ ऊपर 35
2.	लिंग	☐ पुरूष ☐ महिला
3.	शिक्षा	☐ अशिक्षितजम ☐ प्राथमिक ☐ इंटरमीडियट ☐ माध्यमिक ☐ स्नातक ☐ स्नानोत्तर
	वर्तमान शिक्षा	☐ विद्यालय ☐ विश्व विद्यालय ☐ नहीं
4.	व्यवसाय	☐ विद्यार्थी ☐ बेरोजगार ☐ अतिरिक्त समय मजदूर ☐ अकुशल मजदूर ☐ कुशल मजदूर ☐ स्वरोजगार ☐ सरकारी नौकरी ☐ प्राईवेट नौकरी
5	वैवाहिक स्थिति	☐ वैवाहिक ☐ अवैवाहिक ☐ तलाकशुदा ☐ विधवा
6	यदि वैवाहिक हैं तो बच्चों की संख्या	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ ऊपर 4
7	आपकी मासिक आय / जेब खर्च	☐ शून्य ☐ < Rs. 1000 ☐ ₹ 1001-3000 ☐ ₹ 3001-5000 ☐ ₹ 5001-10000 ☐ ₹ 10001- 15,000 ☐ > ₹15000
8	पिता का व्यवसाय	☐ व्यवसायी ☐ सरकारी कर्मचारी ☐ कृषक ☐ भूमिहीन मजदूर ☐ प्राईवेट नौकरी
9	माता का व्यवसाय	☐ गृहणी ☐ व्यवसायी महिला ☐ सरकारी कर्मचारी ☐ भूमिहीन किसान ☐ मजदूर ☐ प्राईवेट नौकरी
10	परिवार की मासिक आय	☐ शून्य ☐ < ₹ 1000 ☐ ₹ 1001-3000 ☐ ₹ 3001-5000 ☐ ₹ 5001-10000 ☐ ₹ 10001- 15,000 ☐ > ₹ 15000
11	परिवार की पृष्ठभूमि	☐ एकल परिवार ☐ संयुक्त परिवार ☐ विस्तारित परिवार
12	परिवार का वातावरण	☐ खुश ☐ सामान्य ☐ खंडित
13	किसके साथ रहते हो	☐ परिवार ☐ मित्र ☐ दूर के रिश्तेदार ☐ अकेला ☐ छात्रावास ☐ पेईंग गेस्ट
14	पदार्थ के बारे में सुना है – (ड्रग्स, शराब और सुई के द्वारा उपयोग किया जाने वाला ड्रग्स) जिस नाम के बारे में तुम्हें पता है √ का निशान लगाये	**1.ड्रग -** ☐ हेरोईन धुम्रपान, ☐ संख्या 4, ☐ अफीम और भांग, ☐ भांग, ☐ गांजा, ☐ भक्की, ☐ मारिजूआना–चरस, ☐ ब्राऊन शुगर, ☐ चरस, कैपसूल ☐ और गोलियों के द्वारा शांति बनी रहती है, ☐ एसपी, ☐ कोरेक्स कफ सिरफ, ☐ कोकिन, ☐ हेरोईन, ☐ सूघने वाली, ☐ ☐ **2. शराब -** ☐ शराब, घर/ लोकल बनी **3. सुई के** ☐ **ारा उपयोग ड्रग** ☐ **4.** नाम नही मालूम लेकिन इस तरह का नाम जानकारी ह मे है **5. सूना नहीं**
15	**क्या तुमने कभी उपरोक्त पदार्थों का इस्तेमाल किया है**	**☐ हॉ ☐ नहीं (यदि नही तो प्रश्न संख्या —– पर जाये)**
	यदि हॉ तो मादक पदार्थ	☐ ड्रग ☐ शराब ☐ सुई के द्वारा उपयोग ड्रग
16	उपयोग की विधि	☐ मौखिक ☐ उप–भाषी ☐ सूघने वाली ☐ सूई
17	तुमने पहली बार किस आयु में मादक पदार्थ का इस्तेमाल किया है	☐ से कम 13 ☐ 13-19 ☐ 20 -24 ☐ 25 – 29 ☐ 30 -35 ☐ ऊपर 35
18	कहॉ पर इन पदार्थों का इस्तेमाल किया	☐ घर ☐ स्कूल ☐ कॉलेज ☐ गली ☐ होटल ☐ दुकान ☐ गोपनीय स्थान ☐ छात्रावास ☐ पेईंग गेस्ट ☐ मैदान ☐ एकांत स्थान
19	किसके साथ इन पदार्थों का इस्तेमाल किया	☐ अकेला ☐ अभिभावक ☐ सिबलिंगस ☐ सहकर्मी ☐ अंजान व्यक्ति
20	पहली बारके लिए उपयोग का कारण	☐ उत्सुकता ☐ सहकर्मी दबाव ☐ Fun ☐ तनाव ☐ परिक्षणात्मक ☐ रीति रिवाज ☐ ☐

		स्वतंत्र पार्टी
21	**कहाँ से पदार्थ खरीदा/खरीदते हैं**	☐ दुकान ☐ कैमिस्ट ☐ दोस्तों ☐ घर ☐ पार्टी ☐ अंजान व्यक्ति
22	**मादक पदार्थ खरीदने के लिए किसने पैसा दिया**	☐ दोस्तों ☐ स्वयं ☐ स्वतंत्र ☐ पार्टी ☐ रिश्तेदार ☐ अभिभावक ☐ सबलिंगस

Sl No.	प्रश्न	संभावित जवाब
23	मादक पदार्थ परिवार में प्रयोग किया जाता है	☐ नहीं ☐ शराब ☐ ड्रग ☐ सुई के द्वारा उपयोग ड्रग
24	मादक पदार्थ लेने के बाद आपका अनुभव	☐ उच्च अच्छा लगा ☐ अच्छा नहीं ☐ पछतावा ☐ ठीक
25	अपने पहले मादक पदार्थ के सेवन के दुष्प्रभावों के अनुभव के बारे में बतायें	☐ हॉ ☐ नहीं
	यदि हॉ आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं	☐ उत्सुकता ☐ सहकर्मी दबाव ☐ मजा ☐ तनाव ☐ परिक्षणात्मक ☐ रीति रिवाज ☐ यह मुझे प्रभावित नहीं करेगी
	यदि नहीं तो क्या मादक पदार्थों के दुष्परिणामों से परिचित हैं	☐ नहीं ☐ हॉ
26	क्या आप मादक पदार्थों के दुष्परिणामों को जानते हैं	☐ हॉ ☐ नहीं
	यदि हॉ प्रभाव जानते हैं	☐ अस्वास्थ्य ☐ वित्तीय समस्या ☐ कारावास ☐ बुरा सामाजिक जीवन ☐ परेशान पारिवारीक जीवन ☐ अंजान व्यक्ति
27	आपकी जानकारी के स्त्रोत क्या हैं	☐ समाचार पत्र ☐ टेलिविजन ☐ इंटरनेट ☐ अभिभावक ☐ दोस्त ☐ रेडियो ☐ अध्यापक ☐ पेमप्लेटस ☐ पोस्टर ☐ धार्मिक नेता ☐ पंचायत शिक्षक ☐ व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम ☐ नेयुके ☐ सहकर्मी
28	क्या आप वर्तमान में मादक पदार्थ के उपभोक्ता हैं	☐ हॉ ☐ नहीं
	यदि नही तो क्यों	☐ दुष्परिणाम ☐ मूल्यावान ☐ नापसंद ☐ पता नहीं कहॉ से ड्रग उपलब्ध होते हैं ☐ अवैध
	यदि हॉ तो इन पदार्थों का प्रयोग कैसे करते हो	☐ ड्रग ☐ शराब ☐ सुई के द्वारा उपयोग ड्रग
29	कितने समय तक मादक पदार्थ को उपयोग किया	☐ क्म से कम 1 वर्ष ☐ 2-3 वर्ष ☐ 3-4 वर्ष ☐ 5 वर्ष इससे ज्यादा
30	अक्सर आप मादक पदार्थ का उपभोग कैसे करते हैं	☐ प्रतिदिन ☐ सप्ताह में दो बार ☐ सप्ताह में तीन बार ☐ किसी भी समय
31	मादक पदार्थ कहॉ से चारीदते हो	☐ दुकान ☐ कैमिस्ट ☐ दोस्तों ☐ घर ☐ गोपनीय स्थान ☐ एकांत स्थान
32	मादक पदार्थ को किसके साथ खरीदते हो	☐ अकेला ☐ अभिभावक ☐ सिबलिंगस ☐ सहकर्मी ☐ रिश्तेदार ☐ अंजान व्यक्ति
33	क्या आपको कभी पुलिस ने मादक पदार्थ लेने पर पकडा है	☐ हॉ ☐ नहीं
34	कितना प्रति माह मादक पदार्थ खरीदने में खर्च करते हो	☐ ₹ 100 -300 ☐ ₹ 300-500 ☐ ₹ 500-700 ☐ ₹ 700- 1200 ☐ ₹ 1200 - 3000 ☐ ₹ 3000 & above
35	नशे की लत को लेने के लिए पैसा	☐ स्वयं ☐ कमाई ☐ जेब खर्च ☐ भाई–बहन ☐ दोस्तों ☐ चोरी ☐ अनैतिक तरीके
36	पदार्थ के बाद आपका अनुभवी परिवर्तन	☐ शांति ☐ अकेलापन ☐ मिजाज ☐ व्याधियॉ ☐ निराशा ☐ कामुकता के लिए आग्रह करता हूँ
37	प्रयोग के बाद अनुभवी समस्याग्रस्त प्रभाव	☐ शोर शराबा ☐ दुर्घटना ☐ जोखिम भरा व्यवहार ☐ व्याधियॉ ☐ असुरक्षित यौन संबंध
38	क्या आपने कभी अपने नुकसान के बारे में सोचा	☐ हॉ ☐ नहीं
	यदि हॉ आप मादक पदार्थ छोडना चाहते हैं	☐ स्वास्थ्य संबंधी ☐ पारिवारीक मामला ☐ वित्तीय ☐ कानूनी ☐ अन्य सलाह ☐ जागरूकता
39	तुम्हें सबसे अधिक किसने प्रभावित किया	☐ अभिभावक ☐ अध्यापक ☐ आध्यामिक नेताओं ☐ राजनीतिज्ञ ☐ सिनेमा ☐ दोस्तों ☐ रिश्तेदार ☐ खिलाडी
40	क्या आपने कभी मादक पदार्थ न लेने की सलाह ली	☐ हॉ ☐ नहीं
	यदि हॉ आपके कौन परामर्शदाता हैं	☐ परामर्शदाता ☐ अभिभावक ☐ अध्यापक ☐ आध्यामिक नेताओं ☐ राजनीतिज्ञ ☐ दोस्तों ☐ रिश्तेदार
41	परामर्श के बाद अभी भी आप ड्रग्स लेते हैं	☐ हॉ ☐ नहीं
	यदि हॉ तो क्यों	☐ व्यसन ☐ उच्च महसूस नहीं करते ☐ व्याधियॉ ☐ बैचेनी ☐ दर्द ☐ तनाव ☐ निराशा
42	तुम पदार्थ छोडना चाहते हो	☐ हॉ ☐ नहीं
43	आप नशा मुक्ति केन्द्र के बारे में जागरूक हैं	☐ हॉ ☐ नहीं
44	क्या आप नशा मुक्ति केन्द्र पर रोकथाम के लिए गए हैं	☐ हॉ ☐ नहीं

Sl No.	प्रश्न	संभावित प्रश्न
	यदि नही तो क्यों	☐ बुरी हालत ☐ गैर कामकाजी ☐ असहयोगी स्टाफ ☐ बंद ☐ अच्छे व्यवहार का ना होना ☐ पहुंच रहित ☐ महंगा
	यदि प्रश्न संख्या 15 का उत्तर नही में है तो निम्नलिखित प्रश्न पूछें	
45	आप ने कभी भी उपरोक्त या अन्य प्रदार्थ का सेवन क्यों नहीं किया	☐ हानिकारक प्रभाव ☐ मंहगे ☐ अवसर नही मिला ☐ पसंद नहीं ☐ पता नही ड्रग्स कहां से मिलते है ☐ अवैध
46	क्या आप इन पदार्थो के दुष्परिणामों के बारे में जानतें है ।	☐ अस्वास्थ्य ☐ वित्तीय समस्या ☐ कारावास ☐ असामाजिक जीवन ☐ परेशान पारिवारीक जीवन ☐ एकाकीपन
47	आपकी सूचना का स्रोत क्या है ।	☐ समाचार पत्र ☐ टेलिविजन ☐ इंटरनेट ☐ अभिभावक ☐ दोस्तों ☐ रेडियो ☐ अध्यापक ☐ पेमप्लेट ☐ पोस्टर ☐ धार्मिक नेता ☐ पंचायत ☐ प्रशिक्षक
48	यदि आपको यह पदार्थ निशुल्क दिया जाये तो क्या आप इसे लेना चाहेंगें	☐ हॉ ☐ नहीं
49	क्या आप जानते है कि यह पदार्थ कैसे लिया जाता है	☐ हॉ ☐ नहीं
50	क्या आपने किसी व्यक्ति को नशीली दवा का सेवन करते हुए देखा है	☐ हॉ ☐ नहीं
51	क्या आप कभी इस पदार्थ के सेवन के आदि व्यक्ति से मिले है	☐ हॉ ☐ नहीं
52	आपके गांव में किस प्रकार के पदार्थ प्रयोग किये जाते है ।	☐ ड्रग ☐ शराब ☐ तम्बाखू ☐ सुई के द्वारा उपयोग ड्रग
53	आपके गांव में लगभग कितने व्यक्ति इन पदार्थो का सेवन करते है ।	☐ < 5 ☐ 10-15 ☐ 15-20 ☐ 20-30 ☐ 30-40 ☐ 50-60 ☐ >60
54	इन लोगों में से कौन सा आपका सबसे करीबी व्यक्ति है जो नशा करता है ।	☐ नहीं ☐ पिता ☐ माता ☐ सिबलिंगस ☐ सहकर्मी ☐ रिश्तेदार ☐ अध्यापक
55	आपके परिवार में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ	☐ नहीं ☐ शराब ☐ ड्रग ☐ सुई के द्वारा उपयोग ड्रग
56	आपके मित्र द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ	☐ नहीं ☐ शराब ☐ ड्रग ☐ सुई के द्वारा उपयोग ड्रग
57	क्या आप पास के नशा मुक्ति केन्द्र के बारे में जानते है ।	☐ हॉ ☐ नहीं
58	यदि हॉ तो, केन्द्र की स्थिति के बारे में बतायें	☐ बहुत अच्छा ☐ अच्छा ☐ उत्तम ☐ सामान्य ☐ अकसर बंद गैर ☐ व्यवसायी कर्मचारी ☐ पहुंच रहित
59	क्या आपने अपने गांव में ऐसा व्यक्ति देखा है जिसकी मृत्यु नशा और मद्यपान के कारण हुई हो ।	☐ हॉ ☐ नहीं